




क्रमांक: 4381/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 07/08/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौदहवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त, 2015 को
अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 06 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
(पृष्ठ क्र. 07 से 12 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
04. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
(पृष्ठ क्र. 13 से 16 तक)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची विषय क्रमांक 1 में अनुमोदनार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
05. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद— कक्ष—अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक—I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।
(पृ.क्र. 17 से 22 तक)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में विषय क्रमांक 15 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
06. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।
(पृष्ठ क्र.23 से 27 तक)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 4 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
07. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।
(पृष्ठ क्र. 28 से 30 तक)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 6 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।


08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 10 में अनुमोदनार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 31 से 45 तक)
09. वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केंद्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रु. 40 लाख (चालीस लाख रुपये) की गई भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 46)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 47)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 8 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
11. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 48 से 56 तक)
टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में विषय क्रमांक 17 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 57 से 58 तक)
13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 4382 / अका. / का.प. / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 07 / 08 / 2015

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



क्रमांक: 4328/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 4/08/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरुवार, दिनांक 30.07.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय.खान	-	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
4. डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
6. श्री राजेश सिंह राणा	-	सदस्य
7. श्री सी.जे. खत्री	-	सदस्य
8. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा	-	सदस्य
10. श्री श्रीचंद सुंदरानी	-	सदस्य
11. श्री नवीन मार्कण्डेय	-	सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन का दिनांक 27.07.2015 को शिलांग में असामयिक निधन हो जाने के कारण, कार्यपरिषद् के सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि दी, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ.विभूति राय, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद (संविदा) की सेवाएं दिनांक 05.06.2015 को समाप्त होने के पश्चात दिनांक 06.06.2015 से 31.07.2015 तक ही वृद्धि करते हुए संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

as

04. NCNR, PRSU के लिए Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED मूल्य क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : NCNR, PRSU द्वारा Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company M/s. Leica DHR Hodina, India Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से क्रय करने हेतु उपकरण का मूल्य Euro 15,249.65 (रुपये 12,01,000/- बारह लाख एक हजार मात्र) + Custom Charges + LC Opening Charges की केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।

05. NCNR, PRSU के लिए HPTLC क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : NCNR, PRSU द्वारा HPTLC क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company m/s. Anchrom Enterprises (1) Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से मूल्य Swiss CHF 94,173 + Custom Charges + LC Opening Charges (Rs. 72,91,321=00) की केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।

06. NCNR, PRSU के लिए Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : NCNR, PRSU द्वारा Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graitier NOida (UP) से Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graitier NOida (UP) के माध्यम से मूल्य रु. 5,67,600 (पाँच लाख सड़सठ हजार छः सौ रुपए) की केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

07. छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रु.14,63,000.00 भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से पांच लाख कोरी उत्तर-पुस्तिका मुद्रण के पश्चात् देयक राशि रुपए 14,63,000.00 (रुपए चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सत्र 2016-17 में पुनर्मूल्यांकन शुल्क में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया।

09. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2000 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
10. केन्द्रीय जेल, रायपुर से छात्रावास हेतु तख्त क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।
- निर्णय : छात्रावास हेतु तख्त क्रय निविदा के आधार पर अथवा शासन द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसी के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जावे।
11. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव, Extension of Appointment के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2015 से 30.04.2016 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
12. विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति के द्वारा अनुशंसित टीप पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि सभी मापदंड पूरा करने के फलस्वरूप इंडियन सेक्युरिटी फोर्स, शाप नं. के-3/264 सुभाष मार्केट, जिला-दुर्ग के द्वारा उल्लेखित दर के अनुसार कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।
13. विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने के संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
14. विषय क्रमांक 2 माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफार्मेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : ऐसे महाविद्यालय जिनकी परफार्मेंस इंडेक्स 0.5 से नीचे है, उन्हें नोटिस जारी किया जाय कि वे परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के संबंध में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य आवश्यकताएं 31 दिसंबर, 2015 तक पूर्ण कर लें। अन्यथा सत्र 2016-17 में संबंधित महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रतिबंधित किया जावेगा।



19. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर विचार विमर्श के पश्चात् अपील सुनवाई के संबंध में निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 1. श्री सत्यनारायण शर्मा | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री नवीन मारकण्डेय | — | सदस्य |
| 3. डॉ. भगवंत सिंह | — | सदस्य |

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

03. स्व. श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एम.ए. अर्थशास्त्र (सेमेस्टर पद्धति) विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्गीय श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु विनियम क्रमांक 163 का अनुमोदन किया गया।

04. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

05. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में क्रेड्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

07. विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 सत्र 2015-16 के लिए अनुमोदन किया गया।

08 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।


निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।


09. डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

10. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4329 /अका./का.प./2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 4/8 /2015

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

67

क्र. 3957 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 27 / 06 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शनिवार, दिनांक 27.06.2015 अपरान्ह 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
9.	डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
10.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
11.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, आई.टी.बी.पी. रोड, ग्राम-मुड़पार, पो.-खरोरा, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर	B.Sc.-I-Maths Group (Physica, Maths, Chemistry)	40	2015-16	निरीक्षण तिथि:- 13.06.2015 वि.वि. के पत्र क्र. 3583/अका./2015 दिनांक 20.05.2015 के संदर्भ में निरीक्षण समिति ने दिनांक 13.06.2015 को स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टी. ऑफ टेक्नालॉजी, खरोरा, का निरीक्षण किया एवं पाया कि	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के
		B.Sc.-I-Bio-Group (Chemistry Botany, Zoology)	40			
		B.Com.-I-Compulsory Subject	40		1. बी.एस.सी. गणित समूह (40 सीट), बी.एस.सी.	

8

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
	(श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति स्टेशन रोड रायपुर)	B.Com.-I-Computer Application	40		बायो समूह (40 सीट), बी.काम. (40 सीट) एवं बी.काम. कम्प्यूटर साइंस (40 सीट), हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है, जिसमें 04 अध्यापन कक्ष, 03 प्रयोगशाला कक्ष (भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति / जीव विज्ञान), 01 कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहित कुल 14 कक्ष हैं। कुल क्षेत्रफल 7.115 एकड़ परिवर्तित जमीन है तथा भवन का निर्मित क्षेत्र 12,500 वर्ग फीट है।	तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
शासन का आदेश क्र. एफ 17-23/201538-2 दिनांक 31.01.2015					2. महाविद्यालय की जमीन श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति के नाम पर है।	
					3. प्राचार्य एवं सहा. प्राध्यापकों (प्रत्येक विषय में एक) की नियुक्ति परिनियम 28 में किए जाने की आवश्यकता है।	
					4. बी.काम. (कम्प्यूटर) के लिए 20 कम्प्यूटर टर्मिनल उपलब्ध हैं जो कि पर्याप्त है। भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण छात्रों के अनुपात से कम है। समिति छात्र अनुपात में अधिक उपकरणों की अनुशंसा करती है।	
					5. सभी विषयों के पुस्तकों का क्रय आर्डर दिया गया है। छात्र अनुपात में पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता है।	

03. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के पूर्ति हेतु बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत टीप निम्नानुसार है :-

बी.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, मुर्गा, रायपुर (आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दतरेंगा, रायपुर)	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.06.2015</u> As per Univ. letter No. 3871/Acad/2015, dt 23-05-2015 regarding grant of NOC for commencing B.Ed. Course at Adarsh Mahavidyalaya (Adarsh Nursing institute), Datrenga, Raipur. The Committee visited in 25-06-2015. and observed the land availability by the Director, regarding provision of necessary infrastructure by 31-03-2016. The Committee recommends for the grant of NOC for B.Ed. Course for 2016-17 session.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
2.	साई सदन एजुकेशन स्कूल, ग्राम-बेंद्री, वि.ख.-अभनपुर, रायपुर	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</u> The committee visited the proposed site at Bendri on 26/6/2015. Following are the observations of the committee with respect to the proposed college to start B.Ed. course: 1. The college has adequate (1.67 acres) land required for starting the B.Ed. course. 2. The construction area available is more than 3000 square metre. 3. Already class rooms of NCTE specified size are constructed and seminar hall is under construction. 4. Adequate number of rooms are available for teachers, principal, office, computer lab. and library. 5. There is arrangement of separate toilets and common rooms for boys and girls. 6. Land available is adequate for sports, parking and other activities. 7. Furniture exist but not in good condition.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
3.	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ज्ञानगंगा स्कूल के पास विधानसभा रोड, नरदहा, रायपुर	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3928/अका./2015 रायपुर दिनांक 26.06.2015 के परिपालन में आज दिनांक 26.06.2015 को बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में प्राचार्य एवं व्याख्याता की नियुक्ति अपनी व्यवस्था में की गई है। विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत नहीं है। 2. महाविद्यालय के पास 5 एकड़ की भूमि है। 3. अधोसंरचना में भवन पर्याप्त है। खेल का मैदान उपलब्ध है। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। 4. ITC संसाधन उपलब्ध है। 5. भवन में (प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, आगन्तुक कक्ष, प्रशासन, कैंटीन, पार्किंग) उपलब्ध है। 	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
4.	हरिओम शिक्षण समिति जोगनीपाली, तह.-सराइपाली	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 23.06.2015</p> <p>With reference to university letter no. 3873/Acd/2015 dated 23/6/2015 the committee inspected the place of Hariom Shikshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali on 26-6-2015 for NOC to start B.Ed. course and observed the followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. That the Hariom Shikshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali has 2.10 Acre of land and has a construction of building having eight rooms of 20x30 feet each at ground and first Floor (Block A) and four rooms of 30x15 feet at ground Floor (Block B). Apart from this, samiti has also a big hall which needs renovation for academic purpose mentioned in map. The land will be transferred in the name of Samiti very soon. (Letter of Chairman and Map attached) 	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			<p>2. That in the same campus the construction work at (Block C) is in progress. That at present in Block A and B, a school named Gopnath Vidhya Mandir from calss VI to XII is functioning since 2011.</p> <p>3. That the Chairman of the samiti has given a certificate/undertaking that the school Gopnath Vidhya Mandir, Saraipali will be shifted before next academic session in the Block B & C. After that Block A will be used onle for B.Ed. Course along with all essential facilities as mentioned in Rajpatra to start B.Ed. course in point number 6.1 under sub point from (i) to (vii). Copy of certificate attached)</p> <p>In view of the above observations and commitment of the chairman of the samiti the committee is of the opinion that NOC for the B.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of B.Ed. Programme.</p>	
5.	संस्कार सिटी कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-ठाकुरटोला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</p> <p>The visiting team constituted for the issue of NOC for starting B.Ed. course in Sanskar City College of Education has visited the premises of the college on 26-06-2015 and observed that the college has sufficient infrastructure and area to start the course. Therefore, the committee recommends to issue NOC to the college to start the course with affiliation from Pt. Ravishankar Shukla University.</p>	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
6.	सी.आई.टी. कालेज, पार्री नाला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</p> <p>The committee visited the premises of CIT B.Ed. College, Parri nala, GE Road, Rajnandgaon on June 26, 2015 for the inspection as per the guidelines started in the above mentioned letter.</p> <p>During inspection, the following information was collected and verified:</p> <p>1. Society Registration & By-laws: The Society is registered in the</p>	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।


12

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			<p>name of Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon vide letter no. 1536/2002 dated 2.9.2002. The by-laws of the Society are enclosed;</p> <p>2. Land Registry documents: The documents are enclosed; Proposed site for B.Ed. College: The map of the building along with the photographs where the B.Ed. course is proposed to be run is enclosed. Physical verification of the building has been carried-out by the committee.</p> <p>3. Audit Report: The audit report of the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon for the year 2013-14 is enclosed.</p> <p>On the basis of the above submitted documents and Physical inspection of the site, the inspection Committee recommends NOC for commencing B.Ed. program at CIT B.Ed. College, Parri Nala, GE Road, Rajnandgaon run by the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon.</p>	

04. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3958 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 27/06/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

13



क्रमांक 4216/अका./वि.प./2015

रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2015 दिन-शुक्रवार को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. एस. के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. एस. के. पाटिल	-	सदस्य
3. डॉ. ए. टी. दाबके	-	सदस्य
4. डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन	-	सदस्य
5. डॉ. पुलोक के. मुखर्जी	-	सदस्य
6. डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
8. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
9. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
10. डॉ. सी. डी. अगासे	-	सदस्य
11. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
12. डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
13. डॉ. एस. सी. नैथानी	-	सदस्य
14. डॉ. विभूति रॉय	-	सदस्य
15. डॉ. के. के. घोष	-	सदस्य
16. डॉ. ए. के. गुप्ता	-	सदस्य
17. डॉ. (श्रीमती) शुक्ला बनर्जी	-	सदस्य
18. श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए:-

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय:- विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय:— विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

04. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

05. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला द्वारा योग शिक्षकों के पदों की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।

07. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा Guidelines वित्त e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT के अन्तर्गत "e-PG Pathshala" संबंधी योजना सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा Guidelines वित्त e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT के अन्तर्गत

"e-PG Pathshala" संबंधी योजना का सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।

08. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:— बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, हिन्दी विभाग की स्थापना, स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना, स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण एवं विभिन्न विकास कार्यों के साथ शैक्षणिक पदों के लिए अनुदान सहित स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. सहायक फ़ैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर विचार करना।

निर्णय:— सहायक फ़ैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. कुलपति जी ने विश्वविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों के बीच शोध को बढ़ावा देने के लिए किये गये MoU से अवगत कराया इसी के साथ निम्नलिखित संस्थानों से MoU करने हेतु अनुशंसा की गई:—

I. छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

II. ASTHAGIRI HERBAL RESEACH FOUNDATION, CHENNAL, TAMIL NADU, INDIA

III. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर


IV. School of Natural Products, Jadavpur University (W.B.)


2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (B. Voc.) डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत "Renewable Energy Technology and Management" से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित की गई है। प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

3. इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत संस्कृत एवं अन्य भाषा के लिए आवश्यक पद निर्मित करते हुए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावे।

4. कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों को इकजाामिनेशन रिफार्म के अंतर्गत सत्र 2016-17 से नये प्रश्नपत्र पैटर्न (New Q.P. Pattern) लागू करने की जानकारी दी गई।

5. छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित स्कूलों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करने हेतु विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक व्याख्यान दिया जावे ताकि स्कूली छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन एवं शोध के संबंध में हो रहे कार्यों से अवगत हो सके तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित संभावनाओं के बारे में विचार कर शोध के प्रति प्रेरित हो सके।
6. NCNR के अंतर्गत ऐसे उपकरण कय किये गये हैं जिसकी व्यापक उपयोग हेतु इस क्षेत्र के उद्योगों से लिंकेज स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क तय की जावे ताकि भविष्य में संबंधित उपकरणों के मरम्मत राशि की भरपाई हो सके।
7. श्री सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के पत्र दिनांक 04.07.2015 Ref 177/VC/SPC में उल्लेखित बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रेरित किया जावे।
8. विश्वविद्यालय में पुराने भवनों के जीर्णोद्धार, विभागों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के भवनों के विस्तार एवं नये भवन के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण की गई।
9. प्रत्येक विभाग में प्रत्येक शिक्षकों को एक ऑन-गोईंग प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है इस हेतु समस्त शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे तथा पत्र लिखा जावे जिससे परिसर में शोध का उत्कृष्ट वातावरण बने।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4217/अका./वि.प./2015

रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

प्रतिलिपि :-

1. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को।
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

(17)

**छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार
विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद- कक्ष-अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक की भूमिका,
अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य**

भूमिका-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक संबंधित विभाग के कार्यालय के प्रबंध एवं अनुशासन से संबंधित सभी मामलों की व्यवस्था करता है। अतः उनका कुशल नियंत्रक एवं संचालक होना आवश्यक है।

विभाग के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य पर लगाकर कार्य का संपादन एवं संचालन करवाया जाना भी अपेक्षित है, ताकि कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालय के हित में किया जा सके।

साथ ही कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को चाहिए कि वह कार्य के निपटारे में अद्यतन स्थिति बनाये रखे एवं विभिन्न कार्यों के यथाशीघ्र निष्पादन को ध्यान में रखे। कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक यह भी देखे की शासन के स्थायी आदेशों एवं प्रक्रियाओं का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक की अपेक्षित योग्यताएं-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के पद पर एक परिश्रमी, अनुभवी एवं कार्यकुशल व्यक्ति का होना आवश्यक है। उसमें निम्न योग्यताएं होना अपेक्षित है:-

1. कार्यालय पर नियंत्रण रखने की क्षमता होना।
2. अधीनस्थ लिपिकों को मार्गदर्शन देने एवं कठिनाई दूर करने की क्षमता होना।
3. कार्यालय के प्रबंध की क्षमता का होना।
4. प्रारूप एवं नोट/संक्षेपिका लिखने की योग्यता होना।
5. कार्य के पर्यवेक्षण (Observation) की योग्यता का होना।
6. व्यवहार कुशल एवं समन्वयक (Co-Ordinator) की योग्यता का होना।
7. संस्था के अन्य कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों की भी अच्छी जानकारी।

कर्तव्य

विशेष कर्तव्य- इसके अंतर्गत निम्न कर्तव्य शामिल है:-

(अ) कर्मचारियों की उपस्थिति पर नियंत्रण-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखे और यह देखे कि सभी कर्मचारीगण कार्यालय में समय पर आते हैं। इस संबंध में कार्यालय में एक उपस्थिति पंजी रखी जावे, जिसमें निम्न जानकारी रहेगी:-

1. कर्मचारी का नाम एवं पद।
2. महिने की तारीख।
3. कर्मचारी की उपस्थिति का समय।
4. उपस्थिति के समय कर्मचारी के हस्ताक्षर।
5. यदि कर्मचारी अवकाश पर है तो उसका विवरण।
6. यदि कर्मचारी विलंब से आया है तो उसका विवरण एवं समय।

टीप:- जब कोई कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होता है तो कक्ष अधिकारी को चाहिए कि ऐसे कर्मचारी के नाम के आगे लाल स्याही से (x) का चिन्ह लगा दे एवं अपने हस्ताक्षर करें।

इसके बाद यदि कर्मचारी देर से आता है तो उसकी उपस्थिति का समय अंकित करते हुये कर्मचारी के हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए।

यदि कोई कर्मचारी हमेशा विलंब से आने का आदि है तो इसका सूचना विभाग के उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी को दी जाए।

(ब) डाक प्राप्ति एवं निपटारा-

इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त होते ही कार्यालय की मूहर एवं तारीख लगवायेगा एवं विभाग के अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं निर्देश प्राप्त करेगा।

तत्पश्चात् संबंधित शाखा के प्रभारी लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। साथ ही समयावधि के पत्रों में राजभवन से पत्र, विधानसभा प्रश्न, लोक सभा प्रश्न, मंत्रीगण से प्राप्त पत्रों पर समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु अंकित करेगा/लिखेगा।

(स) लिपिकीय कार्यों का निरीक्षण-

इसके अंतर्गत कार्यालय के विभिन्न लिपिकों के मेजों का निरीक्षण करना चाहिए एवं यह देखना चाहिए कि बताया गया/निर्धारित काम इकट्ठा होने नहीं दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण उपरांत यदि हिदायतों एवं नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं इसकी जानकारी एवं कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित जानकारी विभागीय अधिकारी के ध्यान में लायेगा।

(द) गोपनीय चरित्रावलियों की पंजी को व्यवस्थित रूप से रखना-

कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय चरित्रावलियों एवं संबंधित पंजीयों को व्यवस्थित रखने का कार्य कक्ष अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं कर्मचारियों की पदोन्नति इत्यादि के समय आवश्यकता होने पर पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(इ) पदक्रम/वरिष्ठता सूची का रखा जाना-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की पदवार पदक्रम सूची निर्धारित समय पर प्रत्येक वर्ष जारी की जावेगी एवं विभिन्न पदक्रम/वरिष्ठता सूचियों से संबंधित पंजीयां एवं फाईल्स के संधारण की सुव्यवस्था निश्चित की जावेगी।

(फ) विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी कार्य-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा में किये जाने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

टीप:- उपरोक्त "द", "इ" एवं "फ" में उल्लेखित विशेष कर्तव्य सामान्य प्रशासन विभाग के स्थापना से संबंधित होने के कारण केवल सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(ज) कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे गये गोपनीय अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना-

समय-समय पर कुलसचिव द्वारा भेजे गये समस्त गोपनीय अभिलेखों एवं गोपनीय पत्रों को अलग-अलग गोपनीय पंजी में पंजीकृत किया जावेगा।

गोपनीय पत्र, प्रकरण एवं पंजीयां कक्ष अधिकारी के नियंत्रण में रखी जावेगी।

(ह) स्थायी आदेशों की फाईलों को व्यवस्थित रखना-

शासन से प्राप्त स्थायी आदेशों को फाईल बनाकर सुरक्षित रखा जावेगा, इन्हें निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है:-

1. कार्यालय से संबंधित आदेश।
2. फौजदारी कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
3. राजस्व कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
4. विधिक विषयक आदेश।

सामान्य कर्तव्य-

सक्षम अधिकारी कुलपति/कुलसचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा अधिकृत किए जाने पर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

अतः कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के समस्त कार्यों को न तो लेखबद्ध किया जा सकता है और न ही किसी सीमा में बांधा जा सकता है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से निरूपित किया जा सकता है:-

1. कर्मचारी कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हो तथा कार्य भी प्रारंभ कर दें। यह ध्यान रखना कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का कर्तव्य है।
साथ ही उपस्थिति के उपरांत कर्मचारी इधर-उधर घूमते रहते हैं या कार्य को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जिससे एक ओर कार्य में विलंब होता है एवं दूसरी ओर कार्यालय की छवि खराब होती है। अतः इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जावे।
2. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कर्मचारी समय पर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो कार्य भी बकाया नहीं रहेगा।
3. प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को डाक रजिस्टर में प्रविष्टि के उपरांत संबंधित शाखाओं में वितरण की व्यवस्था की जावे।
4. राजभवन एवं शासन से प्राप्त आदेशों से संबंधित पत्रों, समय-सीमा से संबंधित पत्रों एवं आवश्यक पत्रों को अविलंब कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। समय-सीमा वाले पत्रों का उत्तर निर्धारित समयार्वाधि में प्रेषित किया जावे।
5. कुलसचिव/विभागीय अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कर्मचारी कार्यालयीन पत्र/रजिस्टर घर पर नहीं ले जा सकेंगे। अतः इस पर नियंत्रण रखा जावे। विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति लेकर कार्य को घर पर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
6. विभागीय अधिकारी एवं कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत समस्त पत्र, फाईलें, प्रकरण तथा डाक- कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के माध्यम से ही जानी चाहिए।
7. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक विभिन्न प्रकरणों से संबंधित याचिकाओं एवं अपीलों को संबंधित माननीय न्यायालयों में भेजेगा।
8. इसी प्रकार राजभवन, शासन तथा विभिन्न आयोगों को भेजी जाने वाली जानकारी कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रेषित की जायेगी।
9. कर्मचारियों द्वारा प्रेषित विभिन्न अर्धकाश आवेदनों पर लिखी टीप का परीक्षण करेगा एवं आवेदनों को उचित आदेशार्थ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कुलसचिव को भेजेगा।
10. लोक सभा एवं विधानसभा के प्रश्नों के लिये पृथक से पंजी रखी जाये एवं उसमें प्राप्त ऐसे समस्त प्रश्नों का विवरण अंकित किया जावे।
11. राजभवन, राज्य शासन या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त पत्रों की अलग से पंजी रखी जाये एवं उत्तर दिये जाते समय स्वयं यह जांच की जावे कि उन्हें सही जानकारी प्रेषित की जा रही है।
12. विभिन्न कर्मचारियों के बकाया कार्य का विवरण नियमित रूप से विभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। नस्तीबद्ध प्रकरणों एवं अभिलेखों को कार्यालय में अलग से रखे जाने की व्यवस्था की जावे।
13. विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों, अधिसूचनाओं एवं नियमों, परिपत्रों, सूचनाओं को तथा उनमें किए गए संशोधनों से संबंधित समस्त आदेशों को सुव्यवस्थित रखा जावे एवं उनका यथोचित रूप से पालन किया जावे।
14. विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, पत्रों, ज्ञापन इत्यादि के मुद्रलेखन में देर न हो। इस ओर कक्ष अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए।
15. कक्ष अधिकारी और कर्मचारियों के बीच हमेशा समन्वय एवं सद्व्यवहार बनाए रखने हेतु प्रयत्न करना चाहिए।
16. कक्ष अधिकारी को चाहिए कि लिपिक वर्ग से अनावश्यक पत्राचार न करें। यदि किसी कर्मचारी की भूल का पता चले तो, पहले मौखिक रूप से विभागीय अधिकारी के माध्यम से, कुलसचिव के ध्यान में बात लाई जावे।

17. विश्वविद्यालय की सामान्य कार्य प्रणाली- संबंधित अन्य नियमों के पालन के लिए कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक उत्तरदायी है। अतः उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाता है।
18. कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी के द्वारा विशेष प्रकरणों में, अपेक्षा किए जाने पर, संबंधित मामले पर कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा टीप लिखी जानी चाहिए।
19. कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत संबंधित नस्तियों को कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा एक विभाग/शाखा से दूसरे विभाग/शाखा में भेजा जा सकता है।
20. आवश्यकता होने पर कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक स्वविवेक से किसी भी लिपिक को कोई भी कार्य करने के लिए कह सकता है, चाहे वह कार्य उसके सामान्य कर्तव्यों के अंतर्गत आता हो अथवा न आता हो।
21. सौंपे गये कार्य की गोपनीयता को बनाये रखना।
22. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव की बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालयीन दस्तावेज किसी को न देना।
23. प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भेजे जाने वाले पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर अंकित करना।
24. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव द्वारा निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करने हेतु तत्पर रहना।
25. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव के निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करना।
26. चूंकि कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का पद जिम्मेदारी का पद है। अतः वे विभिन्न संघों के आव्हान पर भी हड़ताल इत्यादि में भाग नहीं ले सकेंगे।
27. सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निश्चित समयावधि पर नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना, ताकि निःशुल्क जानकारी दिये जाने पर अकारण शासकीय अपव्यय को रोका जा सके। विलम्ब से कार्य करने पर हुए अपव्यय की संबंधित से वसूली।
28. विभाग में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, प्रिंटर, फोन आदि) का बेहतर रखरखाव, इसके दुरुपयोग को रोका जाना। शासकीय स्टेशनरी के निज-प्रयोग पर अंकुश लगाना।
29. विभाग में अन्य विभाग के कर्मचारियों के अनावश्यक प्रवेश/कार्य हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना।
30. विभाग की स्वच्छता एवं स्वस्थ वातावरण बनाये रखने अधीनस्थों को प्रेरित करना।
31. आवश्यकतानुसार प्रतिमाह मीटिंग कर, अधीनस्थों द्वारा किये गये कार्य, उस पर होने वाली कठिनाईयों की समीक्षा करना।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार
विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद- निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग- 2,
उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग- 1 एवं कनिष्ठ अधिक्षक की भूमिका, अपेक्षित योग्यताएं एवं कर्तव्य

भूमिका-

शाखा लिपिक ऐसा वरिष्ठ लिपिक होना चाहिए, जो सामान्यतः सेवा के संबंध में वरिष्ठता प्राप्त हो। यह कार्य किसी अनुभवी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए।

योग्यताएं-

1. शाखा के विभिन्न कार्यों से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण ज्ञान रखना।
2. सभी नियत कालीक प्रविवरण, विवरण और रिपोर्ट आदि समय पर तैयार करने एवं कार्यवाही करने की क्षमता का होना।
3. नोट लिखने, प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्यालयीन कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी का होना।
4. शाखा से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करना एवं प्रभारी अधिकारी तथा कुलसचिव द्वारा सौंपे गये अन्य विषयों के संबंध में पत्र व्यवहार करने की क्षमता का होना।
5. शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति गंभीरता होनी चाहिए।
6. प्रक्रियाधीन कार्यवाही से संबंधित गोपनीयता बनाये रखने की क्षमता होनी चाहिए।
7. कक्ष अधिकारी एवं उप कुलसचिव के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कार्यालय सहायक/शाखा लिपिक के कर्तव्य-

(अ) महत्वपूर्ण कर्तव्य-

1. शाखा लिपिक का यह कर्तव्य है कि वह शाखा के अभिलेखों को सुरक्षित रखे।
2. सभी नियत कालीक प्रविवरण, विवरण और रिपोर्ट आदि समय पर तैयार करना एवं कार्यवाही करना।
3. सभी प्रविवरण, रिपोर्ट आदि को कुलसचिव के समक्ष प्रेषण के पूर्व सावधानी पूर्वक जांच करना।
4. सभी अधिनियमों, पुस्तकों में आवश्यक संशोधन को अंकित करेगा या चिपकाएगा।
5. शाखा से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करना एवं प्रभारी अधिकारी तथा कुलसचिव द्वारा सौंपे गये अन्य विषयों के संबंध में पत्र व्यवहार करना।
6. नोट लिखने, प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्यालयीन कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी रखनी चाहिए।
7. महत्वपूर्ण एवं उलझे हुये विषयों पर पत्र व्यवहार करना एवं उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों को देखते हुये कार्य कर सकने के योग्य होना।
8. समय पर स्मरण पत्र जारी करना।
9. माह में न निपटायें गये कार्यों की मासिक सूची तैयार कर निर्धारित तिथि (समीक्षा बैठक) पर प्रभारी अधिकारी/ कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
10. सौंपे गये कार्य की गोपनीयता को बनाये रखना।
11. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव की बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालयीन दस्तावेज किसी को न देना।
12. प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भेजे जाने वाले पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर अंकित करना।

13. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव द्वारा निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करने हेतु तत्पर रहना।

(ब) सामान्य कर्तव्य-

1. शाखा में पत्र प्राप्त होते ही प्रकरण की प्राथमिकता के अनुसार तत्काल/प्राथमिकता (समय-सीमा) की पर्ची चिपकाना।
2. संबंधित पत्र प्राप्त होते ही नस्ती तैयार करना एवं उस पर तुरंत कार्यवाही कर प्रस्तुत करना।
3. प्राप्त पत्र का तत्काल पंजीयन करना।
4. सभी आवश्यक पत्रों को तत्काल प्रभारी अधिकारी/कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. सभी विधान सभा, लोक सभा से प्राप्त प्रश्नों का तत्काल जवाब बनाकर प्रभारी अधिकारी/कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. राजभवन एवं शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों का जवाब समय-सीमा में प्रेषित करना।
7. आवश्यकतानुसार प्राप्त पत्रों एवं दी जाने वाली जानकारी एवं नियमों को दर्शाने वाले ध्वज को कागज के ऊपर पिन से लगाना।
8. न्यायालयीन आदेशों/अपीलों के मामले में आदेशों पर पर्ची लगाकर मूल आदेश या अपीलार्थी आदेश शब्द लिखना चाहिए।
9. किसी भी विषय पर आदेश के लिये, मामला प्रस्तुत करने के पूर्व, सभी संबंधित कागज/नियम उचित रूप से प्रस्तुत किये गये हैं।
10. यदि आवश्यक हो तो कर्मचारी उस पर नोट (टीप) लिखेगा।
11. यदि साधारण प्रकृति का पत्र हो तो प्रारूप प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में कोई नोट (टीप) लिखना आवश्यक नहीं है।
12. प्रकरण के संबंध में नोट (टीप) ठीक-ठीक एवं संक्षिप्त होनी चाहिए।
13. महत्वपूर्ण मामले में लागू होने वाले नियमों, अधिनियमों और हिदायतों का हवाला दिया जाना चाहिए।
14. टंकन संबंधी कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।
15. आर्बिट्रल कार्य स्वयं संपादित किया जाना एवं आवश्यकता होने पर वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करना। सहयोगी कर्मियों के कार्य में हस्तक्षेप केवल आदेशित किये जाने पर वांछित है।
16. रफ कार्य हेतु विभाग में उपलब्ध अनुपयोगी कागज के उपयोग को बढ़ावा देना।
17. आर्बिट्रल कम्प्यूटर, फोटो कॉपी पेपर, फेक्स इत्यादि की समुचित देखभाल कराना।
18. त्रुटिहीन एवं उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाना।

// कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //



विषय :- शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रू. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में निर्देशार्थ बाबत्।

—00—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर दिनांक 03 अप्रैल 2013 के अनुसार- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश दिनांक 01.02.2013 से प्रभावशील होगा।

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरनबाजार, रायपुर में कौशल परीक्षा आयोजित की गई, जिसकी अंकसूची प्राप्त हो गई है। (अंकसूची मूलतः संलग्न)

संबंधित परीक्षा में सभी कर्मचारियों द्वारा 8000 (Key) की-डिप्रेशन किया है परन्तु गलती करने के कारण अंको में कटौती करते हुए अंक प्रदान किया गया है।

आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त कौशल परीक्षा में कितने प्राप्तांको के आधार पर कर्मचारियों को उक्त राशि की पात्रता होगी। इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशार्थ हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

24

परीक्षा का नाम : पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कम्प्यूटर भत्ता प्रदाय किये जाने हेतु आयोजित कौशल परीक्षा

परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर

विषय : कम्प्यूटर

दिनांक : 11.04.2015

पूर्णांक 50

-:: एकीकृत अंकसूची ::-

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
1	101	श्री शंकरलाल कुंजाम	स्टेनाग्राफर	कुलपति कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
2	102	श्री हेमन्त कुमार ध्रुव	स्टेनाग्राफर	गोपनीय विभाग	48.00	forty eight only
3	103	कु० डुलेश्वरी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग A B S E N T	
4	104	श्रीमती दुलारी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग A B S E N T	
5	105	श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	परीक्षा विभाग A B S E N T	
6	106	श्रीमती ममता घोड़ेसवार	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	23.76	twenty three pt. seven six
7	107	श्रीमती भारती शोरी	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	15.74	fifteen pt. seven four
8	108	श्री निर्मल कुमार अग्रवाल	प्रथम श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग A B S E N T	
9	109	श्री हेमन्त शर्मा	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	38.45	thirty eight pt. four five
10	110	श्रीमती अंजू ठावरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	29.08	thwenty nine pt. zero eight
11	111	श्री प्रदीप कैलाश चंद्रकापुरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	पञ्चाशीरिक शिक्षा विभाग	13.23	thirty nine pt two three
12	112	श्री श्रवण सिंह ठाकुर	प्रथम श्रेणी लिपिक	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	39.65	thirty nine pt six five
13	113	श्री आर०पी० देवागन	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग A B S E N T	
14	114	श्री परदेशी राम यादव	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	49.00	forty nine only
15	115	श्री नरेन्द्र गोस्वामी	द्वितीय श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	47.75	forty seven pt. seven five
16	116	श्रीमती सरोज शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक	ग्रंथालय विभाग A B S E N T	
17	117	श्री गिरीश कुमार सेन	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	45.75	forty five pt. seven five
18	118	श्री रणजीत सिंह रात्रे	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	42.90	forty two pt. nine zero

कमश 2 पर

Ruchi Jain - Jain

Arati verma - [Signature]

[Signature]

[Signature]
Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
19	119	श्री बलराम वर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
20	120	श्री रामकुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	15.58	fifteen pt. five eight
21	121	श्री केशर कुमार थवाईत	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलपति कार्यालय	48.75	forty eight pt. seven five
22	122	श्रीमती सविता पुसरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	43.68	forty three pt. six eight
23	123	श्रीमती प्रवीणा यादव	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	12.50	twelve pt. five zero
24	124	श्री विवेक शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	49.50	forty nine pt. five zero
25	125	कु० नूतन साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	26.15	twenty six pt. one five
26	126	कु० स्वप्ना राजवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	48.75	forty eight pt. seven five
27	127	श्रीमती नीलम	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	47.50	forty seven pt. five zero
28	128	श्री धनेश प्रसाद चौबे	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	33.06	thirty three pt. zero six
29	129	श्री चेमन ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	17.44	seventeen pt. four four
30	130	श्री प्रेम कुमार साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.00	forty nine only
31	131	श्री विक्रान्त गोंडाने	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.25	forty nine pt. two five
32	132	कु० निशा ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	उपाधि विभाग	26.18	twenty six pt. one eight
33	133	श्री योगेश ध्रुव	निम्न श्रेणी लिपिक	दर्शन एवं योग अ०शा०	41.00	forty one only
34	134	श्री हुलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	46.50	forty six pt. five zero
35	135	श्री सागर चंद नाशा	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	25.24	twenty five pt. two four
36	136	श्री दीपक शर्मा	लिपिक	परीक्षा विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
37	137	श्री मुकेश कुमार भतपहरी	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	49.50	forty nine pt five zero
38	138	श्री पुरषोत्तम कहार	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग A B S E N T	
39	139	श्रीमती रेणु नवरंग	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	48.25	forty eight pt. two five
40	140	श्री लोभराम	निम्न श्रेणी लिपिक	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ	33.09	thirty three pt. zero nine

कमश 3 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti Verma - [Signature]

[Signature]

Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
41	141	श्री गणेश राम बेनर्जी	निम्न श्रेणी लिपिक	कार्यो० अधिष्ठाता छात्र कल्याण	39.82	thirty nine pt. eight two
42	142	श्री अनुराग श्रीवास्तव	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	18.83	eighteen pt. eight three
43	143	श्रीमती शकुन्ता मनहरे	निम्न श्रेणी लिपिक	साहित्य एवं भाषा विज्ञान	40.22	forty pt. two two
44	144	कु० पूनम बारबुधे	निम्न श्रेणी लिपिक	इले० एवं फोटोनिक्स अ०शा०	40.19	forty pt. one nine
45	145	श्री रामकुमार चंद्राकर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
46	146	श्री बिमल कुमार धुर्वे	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	38.10	thirty eight pt. one zero
47	147	श्री थानेश्वर राम इंगले	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
48	148	श्री प्रभात कुमार झा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
49	149	श्री संदीप खर्गवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अ०शा०	39.83	thirty nine pt. eight three
50	150	श्री अवधेश कुमार गंधर्व	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	48.19	forty eight pt. one nine
51	151	श्रीमती रजनी मंडावी	निम्न श्रेणी लिपिक	ग्रन्थालय सूचना एवं विज्ञान अ०शा०	23.15	twenty three pt. one five
52	152	कु० दुर्गेश खटकर	निम्न श्रेणी लिपिक	मनोविज्ञान अ०शा०	49.75	forty nine pt. seven five
53	153	श्री बंशी लाल टेकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	36.89	thirty six pt. eight nine
54	154	श्री अशोक कुमार देवांगन	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.50	forty eight pt. five zero
55	155	श्री महेन्द्र कुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
56	156	श्री पुष्कर दीवान	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	28.45	twenty eight pt. four five
57	157	कु० सपना सिन्हा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग A B S E N T	
58	158	श्री राजन सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गणित अध्ययनशाला	32.08	thirty two pt. zero eight
59	159	श्री पलेश्वर सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	34.88	thirty four pt. eight eight
60	160	श्री नीलम तिकी	निम्न श्रेणी लिपिक	फार्मसी संस्थान	34.99	thirty four pt. nine nine

कमरा 4 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti Verma - [Signature]

[Signature]
Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
61	161	श्री रघुराम मरकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	जैवप्रौद्योगिक अ०शा०	23.06	twenty three pt. zero six
62	162	श्रीमती हेमा सरवरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	भू-विज्ञान अ०शा० A B S E N T	
63	163	श्री कमलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	28.13	twenty eight pt. one three
64	164	श्रीमती अलका लकड़ा	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	33.39	thirty three pt. three nine
65	165	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	निम्न श्रेणी लिपिक	श्रेत्रीय अध्ययनशाला	32.33	thirty two pt. three three
66	166	श्री शिवलोचन नेताम	कनिष्ठ अधीक्षक	विकास विभाग	15.41	fifteen pt. four one
67	167	श्री योगेश कुमार सोनटेके	प्रथम श्रेणी लिपिक	विकास विभाग	31.31	thirty one pt. three one
68	168	श्री महेश सिंह ठाकुर	द्वितीय श्रेणी लिपिक	इतिहास अध्ययनशाला	25.68	twenty five pt. six eight

मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर

Arati Verma
Ruchi Jain

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

[Handwritten signatures]
(H.S. Armo)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]
Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लॉट लगाये जाने हेतु कार्यालयीन टीप।

टीप:- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के परिप्रेक्ष्य में क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से सौर ऊर्जा पावर प्लॉट लगाये जाना प्रस्तावित है। क्रेडा से संबंधित फर्म Elcoponics Technologies India Pvt. Ltd. Noida U.P. द्वारा उक्त तीनों भवनों का निरीक्षण कर कमशः $50 + 40 + 30 = 120$ किलो वॉट का सौर ऊर्जा प्लॉट लगाने एवं पांच वर्षों तक रख-रखाव कुल राशि रूपए 98,97,800.00 का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ रखे जाने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



(29)

CREDA
CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY
(Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)

2nd Floor, CSERC Building, Shanti Nagar, RAIPUR (C.G.)
Tel.: +91-771-4019230, 4019231, 4019227, 4019228, Fax: 0771-4268389
E-mail: info@creda.in Website: www.creda.in

Ref - CREDA /SPV-Proposal/ 2015-16/ 3031

Raipur, Dt 28 MAY 2015

To, ✓

Registrar,
Pt. Ravishankar University,
G.E. Road, Raipur (C.G.)

Sub: - Revised Proposal for Installation of Solar Photovoltaic Power Plants at Pt. Ravishankar University, Raipur.

Ref: Our earlier proposal No.... Dated:....

In reference to our earlier proposal and discussion had with you, re-survey has been done by M/s. Elcompanics Technologies India Pvt. Ltd. Noida. As per your requirement of power, Solar Power Plants of following capacities have proposed to be installed:

1. Administration Building – 50 kW
2. Science Building – 40 kW
3. Arts Building – 30 kW

Copy of Survey report is enclosed for your ready reference. As shown in annexure "A" of the enclosed proposal, total cost of the project likely to come across of Rs 97.98 Lacs including 05 years maintenance of the system. We would like to inform you that net metering arrangement is applicable in such installations. According to this arrangement, the surplus power produce from the solar system and power produces on holidays can be fed to the grid on chargeable basis. It means the installed solar system will generate revenue for this building. This arrangement requires permission / clearance from C.G. State Power Distribution Company, which has to be done separately by University administration.

In this context we request you to kindly consider this proposal and accord us sanction for the same so as to go ahead for an early implementation. Kindly remit us payments in advance by cheque or draft in favour of Director CREDA Raipur.

Thanking you with regards.

Encl- As above.




(S.K. Shukla)
Chief Executive Officer

CREDA - Energetic agency with ever lasting energy sources

BUDGETARY OFFER FOR SPV POWER PLANT AT RAVISHANKAR UNIVERSITY, RAIPUR

Sr	Particulars	Amount in Rs
1	Design, supply, installation, commissioning of SPV Power Plant (SPVPP) of capacity (50+40+30) 120 KWp	97,47,800/-
2	Comprehensive operation and Maintenance for 5 years	1,00,000/-
3	Connectivity Work	50,000/-
4	Total Cost of Project	98,97,800/-

(In Words: - Rs. Ninety Eight Lacs Ninety Seven Thousand Eight Hundred Only)

The above cost is excluding of **Rs. 21,000/-** for Net metering arrangement. This arrangement requires permission / clearance from C.G. State Power Distribution Company, which has to be done separately by University administration.


Chief Executive Officer



31

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in. Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 230/वि. वि. यंत्री/2015

रायपुर, दिनांक 29/07/2015

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 29.07.2015 को दोपहर 01:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो० शिव कुमार पाण्डेय — अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी० एनआईटी) — सदस्य
3. श्री अबीर बन्दोपाध्याय (विभागाध्यक्ष आर्किटेक्चर विभाग एनआईटी) — सदस्य
4. डॉ० एम० डब्ल्यू० वाय० खान, डीन साईंस — सदस्य
5. श्री के० पी० तिवारी (वि० वि० यंत्री) — सदस्य
6. श्री के० पी० यादव (प्रभारी वित्त नियंत्रक) — सदस्य
7. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री — प्रभारी यांत्रिकी
8. श्री के० के० चन्द्राकर, कुलसचिव — सचिव

- विषय क्रमांक:-1** भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/05/2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/05/2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।
- विषय क्रमांक:-2** दिनांक 06/05/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय:- दिनांक 06/05/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।
- विषय क्रमांक:-3** लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।
निर्णय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गयी राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
- विषय क्रमांक:-4** विश्वविद्यालय के भू-गर्भशास्त्र अध्ययनशाला भवन के जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त ड्राईंग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 59.06 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय:- भू-गर्भशास्त्र भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 59.06 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक:-5 विश्वविद्यालय के विधि विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 47.28 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के विधि विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 47.28 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक:-6 विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकीय विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 43.66 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकीय विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के उपरान्त संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 43.83 लाख का अनुमोदन करते हुए 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-7 विश्वविद्यालय के फॉर्मैसी संस्थान भवन के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 25.36 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के फॉर्मैसी संस्थान भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 25.36 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक:-8 विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 29.85 के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 29.85 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक:-9 विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर अध्ययनशाला भवन के रिनोवेशन हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 58.27 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- कम्प्यूटर अध्ययनशाला भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन

पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिये गये सुझाव को शामिल करने के उपरांत संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 68.17 लाख का अनुमोदन करते हुए हुए 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक:-10 विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 63.78 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 21.05 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 42.73 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 63.78 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 21.05 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया गया है शेष राशि रूपए 42.73 लाख में से राशि रूपए 25.00 लाख भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-11 विश्वविद्यालय के यूटिलिटी सेंटर निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 300.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 257.50 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 42.50 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है ताकि कार्य पूर्ण कराया जा सके। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के यूटिलिटी सेंटर निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 300.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 257.50 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया गया है शेष राशि रूपए 42.50 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-12 विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बैसिक साईंस भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 383.25 लाख के विरुद्ध पूर्व में राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 283.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बैसिक साईंस भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 383.25 लाख के विरुद्ध पूर्व में राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 283.25 लाख में से राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-13. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के लिए वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 7.92 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 16.08 की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 03-07-2015 द्वारा की गई है। कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

34

निर्णय:- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के लिए वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 7.92 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 16.08 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-14 विश्वविद्यालय के आजाद छात्रावास के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.30 में से अभी तक कुल राशि 25.28 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 21.02 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 द्वारा की गई है। ताकि शेष कार्य पूर्ण कराया जा सके। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के आजाद छात्रावास के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.30 में से अभी तक कुल राशि 25.28 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 21.02 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-15 विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल पार्ट-01 (भूतल+प्रथम तल) निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत राशि रूपए 286.00 लाख में से अभी तक कुल राशि रूपए 230.02 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 55.98 लाख के भुगतान की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल पार्ट-01 (भूतल+प्रथम तल) निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत राशि रूपए 286.00 लाख में से अभी तक कुल राशि रूपए 230.02 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 55.98 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-16 विश्वविद्यालय के प्रेस भवन के विस्तार निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 161.83 लाख में से पूर्व में राशि रूपए में से 50.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 111.83 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के प्रेस भवन के विस्तार निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 161.83 लाख में से पूर्व में राशि रूपए में से 50.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 111.83 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-17 विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भवन फेस-2 रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 28.60 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 9.438 का भुगतान किया गया है। शेष राशि की मांग लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि रूपए 19.162 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

- निर्णय:-** विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भवन फेस-2 रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 28.60 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 9.438 का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 19.162 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
- विषय क्रमांक:-18** विश्वविद्यालय के टीचर्स हॉस्टल के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 41.96 लाख में से अभी तक कुल 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 11.96 लाख के भुगतान की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:-** विश्वविद्यालय के टीचर्स हॉस्टल के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 41.96 लाख में से अभी तक कुल 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 11.96 लाख में से राशि रूपए 10.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
- विषय क्रमांक:-19** विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम के चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपए 35.50 लाख लोक निर्माण विभाग को भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि कार्य पर कुल लागत राशि रूपए 36.09 लाख आयी है। अतः राशि रूपए 36.09 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 0.59 लाख का भुगतान करने हेतु निवेदन किया है। अतः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:-** विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम के चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपए 35.50 लाख लोक निर्माण विभाग को भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि कार्य पर कुल लागत राशि रूपए 36.09 लाख आयी है। अतः राशि रूपए 36.09 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 0.59 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को करने की अनुशंसा की जाती है।
- विषय क्रमांक:-20** विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 199.13 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 65.7129 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 133.4171 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:-** विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 199.13 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 65.7129 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 133.4171 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।



विषय क्रमांक:-21 विश्वविद्यालय के स्टॉफ क्वार्टर के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.79 लाख रूपए में से 15.44 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 31.35 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गयी है। कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के स्टॉफ क्वार्टर के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.79 लाख रूपए में से 15.44 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 31.35 लाख में से राशि रूपए 31.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-22 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 151.39 लाख के विरुद्ध राशि रूपए 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 121.39 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 151.39 लाख के विरुद्ध राशि रूपए 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 121.39 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-23 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 15.28 लाख में से राशि रूपए 5.04 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 15.28 लाख में से राशि रूपए 5.04 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-24 विश्वविद्यालय के एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 308.73 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 75.8571 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 232.8729 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 308.73 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 75.8571 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 232.8729 लाख में से राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-25. विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन (भू-तल) निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए

152.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन निर्माणपर कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख आयी है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन (भू-तल) निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 152.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन निर्माण पर कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख आयी है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-26

विश्वविद्यालय के न्यू कन्या छात्रावास के प्रथम तल निर्माण के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 57.63 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 19.08 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 38.62 लाख के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के न्यू कन्या छात्रावास के प्रथम तल निर्माण के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 57.63 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 19.08 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 38.62 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-27

विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 13.81 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 4.56 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 9.25 लाख के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य पूर्ण हो चुका है अतः शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 13.81 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 4.56 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 9.25 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-28.

विश्वविद्यालय परिसर में 02 बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 12.19 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 6.00 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त

पत्र दिनांक 12-06-2015 द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य की आवश्यकतानुसार कुल लागत 16.11 लाख होना बताया गया है अतः कुल राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा शेष राशि रूपए 10.11 लाख भुगतान हेतु निवेदन किया है। अतः लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 10.11 लाख के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय परिसर में 02 बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 12.19 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 6.00 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य की आवश्यकतानुसार कुल लागत 16.11 लाख होना बताया गया है अतः कुल राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 10.11 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-29

विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भवन विस्तार (प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 102.64 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 33.74 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 68.90 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भवन विस्तार (प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 102.64 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 33.74 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 68.90 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-30

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 15.30 लाख में से राशि रूपए 5.05 लाख भुगतान की गयी है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 30-06-2015 के द्वारा की गयी है। वाहन शेड निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 15.30 लाख में से राशि रूपए 5.05 लाख भुगतान की गयी है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-31

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाऊस विस्तार भवन निर्माण कार्य की कुल राशि रूपए 34.10 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 11.253 लाख का भुगतान किया गया है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि रूपए 22.847 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गयी है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:-

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाऊस विस्तार भवन निर्माण कार्य की कुल राशि रूपए 34.10 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 11.253 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 22.847 लाख के

भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-32 विश्वविद्यालय के ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 119.86 लाख के विरुद्ध अब तक राशि रूपए 39.5538 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 80.3062 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 119.86 लाख के विरुद्ध अब तक राशि रूपए 39.5538 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 80.3062 लाख में से राशि रूपए 70.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-33 विश्वविद्यालय के बायोसाईस भवन विस्तार (भूतल + प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 187.84 लाख में से कुल राशि रूपए 161.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 25.85 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के बायोसाईस भवन विस्तार (भूतल + प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 187.84 लाख में से कुल राशि रूपए 161.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 25.85 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-34 विश्वविद्यालय के साईस ब्लॉक नवीनीकरण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर कुल लागत रूपए 54.48 लाख आयी है। कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 4.48 लाख का भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 4.48 लाख की भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के साईस ब्लॉक नवीनीकरण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12-06-2015 के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर कुल लागत रूपए 54.48 लाख आयी है। कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 4.48 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

210

विषय क्रमांक:-35 विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 49.12 लाख में से अभी तक कुल राशि 36.20 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12.06.2015 के द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। अतः शेष राशि रूपए 12.92 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 49.12 लाख में से अभी तक कुल राशि 36.20 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 12.92 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक:-36 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग के लिए अद्योसंरचना मद के अंतर्गत राशि रूपए 100.00 लाख स्वीकृत किया है। हिन्दी विभाग के भवन, परिसर में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के द्वितीय तल में बनाये जाने हेतु बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट श्रीवास्तवा बगरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर द्वारा तैयार किया गया है। आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग के लिए अद्योसंरचना मद के अंतर्गत राशि रूपए 100.00 लाख स्वीकृत किया है। हिन्दी विभाग के भवन, परिसर में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के द्वितीय तल में बनाये जाने हेतु बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट श्रीवास्तवा बगरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर द्वारा तैयार किये गये ड्राईंग डिजाईन का अनुमोदन किया गया है।


कुलपति



कुलसचिव

पु. क्रमांक 231/वि. वि. यंत्री/2015

रायपुर, दिनांक 29/07/2015

प्रतिलिपि:-

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में चल रहे डिपोजिट कार्यों की सूची (वर्ष 2014 -15)
(दिनांक 28.07.2015 तक की स्थिति)


40


बैठक दिनांक 29.07.2015

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्ट्रैजरी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (प्रथम तल)	F.F. - 1347.77 sqm	151.39						40%		कार्य प्रगतिरत
2	बायो साईंस बिल्डिंग Extension कार्य (भूतल + प्रथम तल)	G.F. - 83.43+83.43 R/w F.F. - 357.05 sqm L/w F.F. - 329.16 sqm	192.46						80%		कार्य प्रगतिरत
3	एन.सी.एन.आर. बिल्डिंग निर्माण कार्य। (भूतल)	G.F. - 1877.00 Sqm	308.73						20%		कार्य प्रगति पर
4	फार्मसी बिल्डिंग में हॉल एवं रूम निर्माण कार्य।	G.F. - 212.00 sqm F.F. - 238.00 sqm	82.07						80%		कार्य प्रगतिरत
5	गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य।	271.00 sqm	49.12						70%		कार्य प्रगतिरत
6	रसायन भवन का निर्माण कार्य (भूतल+प्रथमतल)	G.F. - 438.40 Sqm	94.80						10%		कार्य प्रारंभ
7	इलेक्ट्रानिक एण्ड फोटोनिक्स विभाग के विस्तार भवन निर्माण। भूतल + प्रथम तल	G.F. - 689.00 Sqm F.F. - 689.00 Sqm	102.64						30%		कार्य प्रारंभ
8	न्यू कन्या छात्रावास प्रथम तल विस्तार के शेष कार्य।	972.86 Sqm	57.63						60%		कार्य प्रगति पर
9	रिनोवेशन ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल) एवं निर्माण (प्रथमतल)	G.F. - 129.67 Sqm F.F. - 129.62 Sqm	34.10						75%		कार्य प्रगति पर
10	रिनोवेशन एवं निर्माण सेन्ट्रल वैल्युवेशन हॉल	999.40 Sqm	199.13						15%		कार्य प्रगति पर
11	प्रेस गोडाऊन निर्माण कार्य।	G.F. - 559.36 Sqm	161.83						40%		कार्य प्रगति पर
12	बेसिक साईंस भवन निर्माण कार्य। भूतल, पोर्च + प्रथमतल	G.F. - 1255.85 P. - 39.00 Sqm F.F. - 1227.00 sqm	383.25						30%		कार्य प्रगति पर

(42)

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेसी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	बी.एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य। भूतल + पोर्च + प्रथमतल	G.F. - 1442.36 Sqm P. - 72.00 sqm F.F. - 1476.75 sqm	469.42								कार्य प्रारंभ
14	रिनोवेशन ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल + प्रथमतल) निर्माण	G.F. - 578.13 sqm F.F. - 555.01 Sqm	40.72								प्राक्कलन प्रेषित
15	फार्मैसी बिल्डिंग में हॉल एवं रूम निर्माण कार्य फेस -2।	G.F. - 2572.00 Sqm	252.00								प्राक्कलन प्रेषित करना शेष।
16	रेनोवेशन ऑफ लायब्रेरी बिल्डिंग फेस -2	1083.23 Sqm	28.60						90%		कार्य प्रगतिरत
17	गर्ल्स हास्टल पार्ट -1 निर्माण कार्य।		254.82						80%		कार्य प्रगतिरत
18	विश्वविद्यालय के चारों ओर 3 किमी. बाण्डीवाल निर्माण कार्य।		251.69						80%		कार्य प्रगतिरत
19	रिनोवेशन आफ आर्ट ब्लॉक PH-I + II		177.01								पुनः निविदा प्रक्रिया
20	प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण कार्य।		15.28						100%		कार्य पूर्ण
21	रिनोवेशन ऑफ ट्राईवल स्टडी भवन	G.F. - 750.00 sqm F.F. - 690.00 sqm	119.86						70%		कार्य प्रगतिरत
22	कला भवन रिनोवेशन फेस -2 का निर्माण कार्य		92.01								निविदा प्रक्रिया
	कुलयोग		3518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	


 उपसमितता
 लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 3
 रायपुर (छ.ग.)


 अनुविभागीय अधिकारी
 लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 3
 रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
 लो.नि.वि. संभाग क्र. 3
 रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में चल रहे डिपोजिट कार्यों की सूची (वर्ष 2014 -15)
(दिनांक 28.07.2015 तक की स्थिति में पूर्ण कार्यों की सूची)

43

बैठक दिनांक 29.07.2015

सं. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्ट्रैजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ई.सी. मीटिंग हॉल निर्माण कार्य। (G.F.)	G.F. - 155.00 sqm	30.40						100%		कार्यपूर्ण
2	साईंस रिसर्च लैब निर्माण कार्य। (G.F.+F.F.)	G.F. - 166.08 sqm F.F. - 166.08 sqm	49.00						100%		कार्यपूर्ण
3	नोडल इन्स्ट्रीमेन्शन सेंटर निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 87.36 sqm F.F. - 87.36 sqm	25.00						100%		कार्यपूर्ण
4	स्टॉफ क्वार्टर निर्माण कार्य। (I type)	G.F. - 227.52 sqm F.F. - 227.52 sqm	52.77						100%		कार्यपूर्ण
5	रिनोवेशन ऑफ साईंस ब्लॉक	Toilet 48.15 sqm	50.00						100%		कार्यपूर्ण
6	लॉ मूट कोर्ट निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 82.50 sqm F.F. - 82.50 sqm	30.61						100%		कार्यपूर्ण
7	कस्टर क्लास रूम (2 नग) निर्माण कार्य।	Art block 165.00 sqm Geography 162.00 sqm	75.00						100%		कार्यपूर्ण
8	एनीमल हाउस निर्माण कार्य। (FF)	51.10 sqm	6.17						100%		कार्यपूर्ण
9	स्टूडेंट रिकरेशन सेंटर निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 170.64 sqm F.F. - 170.64 sqm	50.95						100%		कार्यपूर्ण
10	रिनोवेशन ऑफ लाईब्रेरी बिल्डिंग निर्माण कार्य।	771.90 sqm	50.00						100%		कार्यपूर्ण
11	हर्बल गार्डन निर्माण कार्य।	511.00 sqm	10.27						100%		कार्यपूर्ण
12	बास्केट बॉल कोर्ट निर्माण कार्य। (2 NOS)	G.F. - 714.00 sqm F.F. - 714.00 sqm	12.19						100%		कार्यपूर्ण

42

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्ट्रैजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ब्रीकवर्क रोलिंग शर्टर परीक्षा विभाग निर्माण कार्य।	633.75 sqm	6.50						100%		कार्यपूर्ण
14	मैनेजमेंट विभाग में वेहिकल पार्किंग शेड निर्माण कार्य।	500.00 sqm	8.11						100%		कार्यपूर्ण
15	कुलपति निवास में गैरेज निर्माण कार्य।	99.00 sqm	8.24						100%		कार्यपूर्ण
16	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (भूतल तल)	G.F. - 1347.77 sqm	152.00						100%		कार्यपूर्ण
17	युटीलिटी सेंटर बिल्डिंग निर्माण कार्य। भूतल प्रथमतल	G.F. - 1210.00 Sqm F.F. - 1210.00 Sqm	236.32						90%		कार्य प्रगतिरत
18	रिनोवेशन ऑफ टिचर्स हास्टल निर्माण कार्य।	300.00 sqm	41.96						100%		कार्यपूर्ण
19	कारीडोर एवं प्रथम तल इसी मिटींग हॉल निर्माण कार्य।	240.24 sqm	33.20						100%		कार्यपूर्ण
20	मैथ्य सांख्यकी विभाग में 2 नग हॉल निर्माण कार्य।	79.54 sqm Semm. Hall 135.00 sqm	18.37						100%		कार्यपूर्ण
21	रिनोवेशन आफ जिम्नोजियम एवं बैण्डमिन्टन कोर्ट	G.F. - 820.44 sqm F.F. - 121.905 sqm	34.28						90%		कार्य प्रगतिरत
22	शारीरिक शिक्षा विभाग भवन निर्माण कार्य।	G.F. - 825.00 Sqm	70.07						100%		कार्यपूर्ण
23	गांधी हॉस्टल रिनोवेशन	G.F. 530.24 Sqm F.F. 530.24 Sqm	77.72						100%		कार्यपूर्ण
24	आजाद हॉस्टल रिनोवेशन	G.F. 504.00 Sqm F.F. 504.00 Sqm	46.30						100%		कार्यपूर्ण
25	एस.आर.सी. केबिन निर्माण कार्य	30.00 Sqm	17.18						100%		कार्य पूर्ण

45

सं. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेंसी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	रिनोवेशन ऑफ बायोटेक्नालॉजी भवन।	G.F. - 1314.40 Sqm	62.96						100%		कार्यपूर्ण
27	कला भवन के पीछे वाहन शेड का निर्माण कार्य	300.00 Sqm							100%		कार्य पूर्ण
28	प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण।	300.00 Sqm							100%		कार्य पूर्ण
29	टीचर मल्टीस्टोरी फ्लैट निर्माण कार्य। (G.type)	G.F. - 250.00 sqm F.F. - 125.00 sqm	72.70						100%		कार्य पूर्ण
30	प्रशासनिक भवन के चारों ओर बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।		32.67						100%		कार्यपूर्ण
31	प्रेक्षा गृह के चारों ओर बाण्ड्री निर्माण कार्य।		33.45						100%		कार्यपूर्ण
32	कोटा स्टेडियम के चारों ओर बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। क्रं. 1 एवं 2		35.50						100%		कार्यपूर्ण
33	एन.आई.सी. के बाजू ग्रिल बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।		12.17						100%		कार्य पूर्ण
34	रेनोवेशन ऑफ स्टाफ क्वार्टर		46.79						100%		कार्य पूर्ण
35	प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण कार्य।		15.28						100%		कार्य पूर्ण
36	एस.आर.सी. के बाजू वाहन शेड निर्माण कार्य								100%		कार्य पूर्ण
	कुलयोग		1504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

[Signature]
उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 3
रायपुर (छ.ग.)

[Signature]
अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्र. 3
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- माननीय कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने बाबत।

वार्षिक परीक्षा 2015 की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को नोडल केन्द्र बनाया गया था। नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं के कराये गये मूल्यांकन के पारिश्रमिक भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि :-

1.	शास. छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातको. महा., धमतरी	-	5.00.000 /-
2.	शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर	-	15,00,000 /-
3.	शास. दिग्विजय महा., राजनांदगांव	-	20,00,000 /-

उपरोक्तानुसार महाविद्यालयों के नाम सम्मुख अंकित अग्रिम कुल राशि रू. 40,00,000 /- (रूपये चालिस लाख मात्र) माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने प्रस्तुत।

Sub
3/7/15

प्राप्त

57

57

B 4 4 3 4 3 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल "स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

टीप:- विश्वविद्यालय के स्वीकृत सेटअप में स्टेनोग्राफिस्ट का 01 पद (वेतनमान 5200-20200 + 1900), स्टेनोग्राफर के 04 पद (वेतनमान 5200-20200 + 2800) एवं कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक एवं गोपनीय सहायक के कुल 03 पद (वेतनमान 9300-34800 + 4300) है। प्रचलित विनियम 91 में निज सहायक का पद जो कि 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा कनिष्ठ अधीक्षक समकक्ष संवर्ग से भरा जाता है, उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हता कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है अथवा कुलसचिव/कुलपति जी विश्वविद्यालय के कनिष्ठ कर्मचारी को भी अस्थायी रूप से उनके कार्यकाल तक सीमित अवधि के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का पद जो कि उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग-1 के समकक्ष है। उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हताएँ 10+2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण, हिन्दी/अंग्रेजी, शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा शासन नियमानुसार समयबद्ध कर्मोन्नति प्रावधानित है। इसलिए उसे लिपिक संवर्ग वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाता है अर्थात् एकल पद श्रेणी में रखा गया है।

कुलपति/कुलसचिव की सहायता के लिए निज सहायक पद पर पदस्थ व्यक्ति में स्टेनोग्राफी की दक्षता होने पर कार्यों के संपादन में अतिरिक्त सहायता मिलेगी ऐसा सदैव अनुभव किया जाता रहा है। कनिष्ठ अधीक्षक संवर्ग से निज सहायक लिये जाने पर सदैव यह सुनिश्चित नहीं होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे टायपिंग एवं स्टेनोग्राफी से संबंधित कार्य लिये जा सके। जबकि स्टेनोग्राफर जो कि स्टेनोग्राफिस्ट के पद पर कार्य करते हैं, स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत होते हैं (50 %) उन्हें टंकण एवं आशुलिपि का अच्छा अनुभव होता है।

अतः स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत लोगो को ही नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुये। विश्वविद्यालय में रिक्त निज सहायक के पदों पर पदोन्नत किया जाने हेतु।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय:- कर्मचारी संघ के आवाहन में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में निर्देशार्थ प्रस्तुत।

टीप:- विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के आवाहन पर विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशाला में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों के परिप्रेक्ष्य में हड़ताल की गई थी। कर्मचारी दिनांक 04.06.2015 को सांकेतिक एवं इसके पश्चात् दिनांक 05.06.2015 से 12.06.2015 तक अपने कार्य पर हड़ताल के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

कर्मचारी संघ के आवाहन पर दिनांक 05.06.2015 से 12.06.2015 तक समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे जबकि उन्हें कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में कार्यपरिषद् सदस्यों की उपसमिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन की जानकारी अध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित की गई थी।

छात्रों एवं पालको की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 03.06.2015 एवं दिनांक 05.06.2015 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर कुछ विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं को अनिवार्य सेवाएँ घोषित किया गया था। अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भी सभी कर्मचारी (कुछ कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एवं विभिन्न कार्यों से आने वाले छात्र-छात्राओं एवं पालकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एवं परीक्षा कार्य तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। कुलसचिव की कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के बीच दिनांक 12.06.2015 को हुई चर्चा के उपरांत सहमति के आधार पर दिनांक 12.06.2015 को हड़ताल स्थगित हुई एवं कर्मचारी दिनांक 15.06.2015 को कार्य पर उपस्थित हुए। पूर्व में भी कर्मचारी संघ के आवाहन पर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी उक्त हड़ताल अवधि का समायोजन कर्मचारियों के अर्जित अवकाश से किया गया था।

कर्मचारी संघ की मान्यता से संबंधित रेगुलेशन, कुलसचिव एवं कर्मचारी संघ के बीच हुई चर्चा उपरांत सहमति पत्र दिनांक 12.06.2015 संलग्न है।

कर्मचारी संघ के आवाहन पर दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हड़ताल पर होने के कारण कर्मचारियों द्वारा कार्य नहीं किया गया। हड़ताल अवधि के संबंध में प्रकरण निर्देशार्थ प्रस्तुत।

क्रमांक: 1861/सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 03/06/2015

// अधिसूचना //

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सभी विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों, विभागीय कक्ष अधिकारियों, परीक्षा विभाग में सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित कर्मचारियों, गोपनीय विभाग के समस्त कर्मचारियों, वित्त विभाग के केश काउण्टर से संबंधित कर्मचारियों, उपाधि एवं माइग्रेशन प्रदान करने से संबंधित कर्मचारियों, कुलसचिव एवं कुलपति कार्यालय के कर्मचारियों एवं यांत्रिकी विभाग के सभी कर्मचारियों की सेवाएँ "अनिवार्य सेवाएँ" घोषित की जाती हैं।

अतः इन सभी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि-- वे अपने निर्धारित कर्तव्य निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यालयीन निर्धारित अवधि में, नियमित रूप से कार्य संपन्न करें।

अनिवार्य सेवाओं से जुड़े इन कर्मचारियों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कर्तव्य के प्रति कोताही की जाती है तो उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 1861/सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक: 03/06/2015

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित विभागों के विभागध्यक्षों को इस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि-- वे अपने विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे अवगत करावें। साथ ही की गयी कार्यवाही की एक प्रति यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग में अनिवार्य रूप जमा करें।
2. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पं. र.शु. वि.वि. कर्मचारी संघ को सूचनार्थ इस आशय के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी को अवगत करावें।
3. कुलपति जी के सचिव/ कुल सचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर. को सूचनार्थ।

कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

ई मेल- registrarprsu@gmail.com , फोन नं.- 0771-2262540

50

क्रमांक / 516 / कु.स. / 2015

रायपुर, दिनांक: 5 / 06 / 2015

// अधिसूचना //

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1860/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त छात्रावास (महिला/पुरुष), अतिथि-गृह में कार्यरत कर्मचारी, समस्त चौकीदार, स्वास्थ्य केन्द्र, जल वितरण, सफाई कार्य, प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी, एवं प्रशासनिक भवन में पदस्थ समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों की सेवाओं को भी "अनिवार्य सेवाएँ" घोषित की जाती है।

अतः उक्त सभी सेवाओं से संबंधित सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि- वे अपने निर्धारित कर्तव्य पर निर्धारित समय में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यालयीन अवधि में नियमित रूप से कार्य संपन्न करें।

अनिवार्य सेवाओं से संबंधित जुड़े सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कर्तव्य के प्रति कोताही की जाती है तो उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक / 517 / कु.स. / 2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक: 5 / 06 / 2015

1. सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि-वे अपने विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे अवगत करावें। साथ ही की गयी कार्यवाही की प्रति यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें।
2. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. र.शु.वि.वि. कर्मचारी संघ को सूचनार्थ इस आशय के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी को अवगत करावें।
3. उप कुलसचिव प्रशासन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ।

कुलसचिव



क्रमांक: 1862 / सा.प्रशा. / 2015

रायपुर, दिनांक: 03 / 6 / 2015

प्रति,

श्री श्रवण सिंह ठाकुर,
अध्यक्ष, पं. र.शु.वि.वि. कर्मचारी संघ,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रशासनिक भवन अन्दर एवं मेन गेट के अहाते में कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर प्रदर्शन न करने बावत्।

- संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 517/क.सं./2015 रायपुर, दि. 01.06.2015
2. वि.वि. का पत्र क्रमांक 1766/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दि.29.05.2015

विषयान्तर्गत लेख है कि- आपके द्वारा वि.वि. को पत्र क.501/क.सं./2015 दिनांक 22.04.2015 प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष 11 सूत्री मांगों से संबंधित मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

उक्त मांग पत्र को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 में लिए गए निर्णय के उपरांत, कर्मचारी संघ के मांग पत्र के विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उप समिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को आयोजित की गयी थी। उप समिति द्वारा की गयी सभी अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 में अनुमोदित किया गया था। जिसकी सूचना आपको इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

विदित हो कि- उपसमिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को डी.सी.डी.सी. कक्ष में समिति के द्वारा आपको बैठक कक्ष में बुलाकर यह कहा गया था कि- आपके द्वारा प्रेषित मांग-पत्र की विभिन्न बिन्दुओं पर समिति विचार कर अपनी अनुशंसाएँ माननीय कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी फिर भी- इन बिन्दुओं के अतिरिक्त और कुछ कहना चाहते हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं।

उपसमिति की बैठक के दौरान आप स्वयं अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे एवं आपके साथ संघ की कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामेश्वर राठौर भी उपस्थित हुए थे तथा आप दोनों के द्वारा मांग-पत्र के एक-एक बिन्दु पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपसमिति द्वारा आपको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय भी दिया गया था। जिसका उल्लेख उनके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट में किया गया है।

अब जब उपसमिति द्वारा मांग-पत्र के विभिन्न बिन्दुओं पर की गयी अनुशंसा, विश्वविद्यालय के मान. कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 में अनुमोदन हो चुका है एवं इसकी सूचना आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा दी जा चुकी है। तब ऐसा कहना कि- इस पर हमने बिन्दुवार अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उपसमिति 11 सूत्री मांगों पर अपना अभिमत वि.वि. प्रशा. द्वारा प्रस्तुत की गई टीप पर विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

पत्र के अनुसार- कर्मचारियों ने यह माना कि इस प्रतिवेदन में संघ के पदाधिकारियों के पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कर्मचारियों की आम सभा में कर्मचारियों ने उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को एक पक्षीय होने के कारण स्वीकार नहीं किया है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की उपसमिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को आयोजित थी तथा विश्वविद्यालय की आपातकालीन बैठक में दिनांक 29.05.2015 को अनुमोदन होने के पश्चात् इस बीच इन 15 दिनों में आपके द्वारा कभी भी यह जानकारी नहीं दी गयी कि- कर्मचारी संघ को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया या आपने कभी इस बीच ऐसी मांग भी नहीं की अर्थात् आपको पक्ष न रखने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी।

अब ऐसा कहना कि संघ के पदाधिकारियों को पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि— आप अपने संघ के कर्मचारियों को वस्तुस्थिति से अवगत न कराकर उन्हें गुमराह करते हुए भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अब जब आपको चरणबद्ध आन्दोलन समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है तो इसके बाद ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि— आपका पक्ष नहीं सुना गया था।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति महोदय/कुलसचिव से विभिन्न कार्यों से छात्र-छात्राओं के पालक, शासकीय अधिकारी एवं विभिन्न नागरिक आते-जाते रहते हैं वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं तथा विभिन्न परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जाने हैं। विश्वविद्यालय का अस्तित्व छात्र-छात्राओं के कारण ही बना रहता है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अतिमहत्वपूर्ण एवं आवश्यक विभागों से जुड़े कर्मचारियों की सेवाएँ अनिवार्य सेवाएँ घोषित की जा चुकी हैं। अतः आप अपने संघ के सभी संबंधित कर्मचारियों को अवगत करावें कि— वे अपने कर्तव्य पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि— चरणबद्ध आन्दोलन यथाशीघ्र समाप्त करें यदि चरणबद्ध आन्दोलन के अन्तर्गत हड़ताल/प्रदर्शन जारी रखने संबंधी निर्णय पत्रानुसार लिया गया है तो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अन्दर एवं अहाते के सामने न करें ताकि आने-जाने वालों को किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

रायपुर, दिनांक: 03/06/2015

पृ.क्रमांक: 1863/सा.प्रशा./2015
प्रतिलिपि:—

1. मान. राज्यपाल के उप सचिव, राज-भवन रायपुर (छ.ग.)
- ✓ 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)
3. जिलाधीश, जिला—रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला—रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
5. थाना प्रभारी, सरस्वती नगर थाना, रायपुर को कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही चरणबद्ध हड़ताल के परिणाम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. कुलपति जी के सचिव/ कुल सचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।



कुलसचिव

रविशंकर विश्वविद्यालय कर्मचारी (कर्मचारी संघों की मान्यता) नियम

१. संक्षिप्त नाम : ये नियम रविशंकर विश्वविद्यालय (कर्मचारी संघों की मान्यता) नियम कहलायेंगे ।
२. परिभाषाएँ : इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- क. विश्वविद्यालय से तात्पर्य रविशंकर विश्वविद्यालय है ।
- ख. विश्वविद्यालय कर्मचारी से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी रविशंकर विश्वविद्यालय सेवा अध्यादेश लागू होते हों ।
३. सेवा संघों की मान्यता के लिए शर्तें : इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कर्मचारी संघ को तब तक मान्यता नहीं दी जावेगी जब तक कि निम्नलिखित समस्त शर्तें पूरी न की जाय अर्थात् :
- क. कर्मचारी संघ की मान्यता के लिए आवेदन पत्र दिया जाय जिसमें ऐसी मान्यता से संगत समस्त जानकारी हो ।
- ख. कर्मचारी संघ का निर्माण मुख्यतः उनके सदस्यों के सामान्य सेवा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के उद्देश्य से किया गया हो।
- ग. कर्मचारी संघ की सदस्यता ऐसा सामान्य हित रखने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारी की विशेष कोटि तक ही सीमित हो ऐसे समस्त विश्वविद्यालय कर्मचारी उस कर्मचारी संघ की सदस्यता के लिए पात्र होंगे ।
- घ. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय कर्मचारी न हो, कर्मचारी संघ के कार्यों से संबंधित न हो ।
- ङ. कर्मचारी संघ की प्रबंधकारिणी की नियुक्ति केवल सदस्यों में से ही की गई हो, और
- च. कर्मचारी संघ की निधियां केवल सदस्यों द्वारा दिये गये चंदों और विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनुदानों से, यदि कोई हो, निर्मित हो और उनका उपयोग केवल कर्मचारी संघ के उद्देश्यों की अग्रसर करने के लिए ही किया जाता हो ।
४. वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए मान्यता दी जाती है : प्रत्येक कर्मचारी संघ जिसे नियमों के अधीन मान्यता प्रदान की गई हो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा अर्थात् :
- क. कर्मचारी संघ किसी ऐसे विषय के संबंध के अतिरिक्त जो कि कर्मचारी संघ के सदस्यों के सामान्य हित का हो, अभ्यावेदन या शिष्टमंडल नहीं भेजेगा ।
- ख. कर्मचारी संघ सेवा संबंधी विषयों से किसी वैयक्तिक विश्वविद्यालय कर्मचारी के पक्ष को न तो ग्रहण करेगा और न ही उसका समर्थन करेगा ।
- ग. कर्मचारी संघ कोई राजनैतिक निधि नहीं रखेगा और न ही किसी राजनैतिक दल या राजनीतिज्ञ के विचारों का प्रसार करने के काम में जावेगा ।
- घ. कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अभ्यावेदन उचित प्रणाली द्वारा भेजे जायेंगे और सामान्यतया वे कुलसचिव को संबोधित किये जायेंगे ।
- ङ. कर्मचारी संघ द्वारा समस्त सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची उसके नियमों की अद्यतन प्रति और उसके लेखाओं का लेखा परीक्षा किया गया विवरण, सामान्य वार्षिक अधिवेशन के पश्चात उचित प्रणाली द्वारा विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष इस प्रकार भेजे जायेंगे जिससे वे प्रत्येक वर्ष एक जुलाई के पूर्व विश्वविद्यालय के पास पहुंच जायें ।
- च. कर्मचारी संघ के नियमों में सारवान प्रकार का कोई भी संशोधन केवल विश्वविद्यालय के पूर्वानुमोदन से ही किया जायेगा और अल्प महत्व का अन्य संशोधन विश्वविद्यालय की जानकारी के लिए भेजे जाने की उचित प्रणाली द्वारा सूचित किया जायेगा ।
- छ. कर्मचारी संघ किसी अन्य यूनियन, कर्मचारी संघ या फेडरेशन से यदि सम्बद्ध होना चाहे तो विश्वविद्यालय की पूर्वलिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ही सम्बद्ध हो सकेगा ।
- ज. कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियतकालिक पत्रिका या विवरणिका का प्रारंभ या प्रकाशन नहीं करेगा ।
- झ. कर्मचारी संघ किसी भी नियतकालिक पत्रिका या विवरणिका का प्रकाशन करना उस दशा में बंद कर देगा जबकि विश्वविद्यालय

53

भ.

ट.

ड.

ड.

५. मान्यता
३ या ५
६. निर्वचान
निर्दिष्ट

1. This F
2. ELIGI
The fr
i)

ii)

3. Items
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

अध्यादेश लागू होवे
 कर्मचारी संघ को तब
 जानकारी हो ।
 श्रेय से किया गया हो।
 तक ही सीमित हो ऐसे
 अनुदानों से, यदि कोई
 ही किया जाता हो ।
 की गई हो निम्नलिखित
 हित का हो, अभ्यावेदन
 करेगा और न ही उसका
 के विचारों का प्रसार
 सचिव को संबोधित किये
 और उसके लेखाओं का
 विद्यालय को प्रति वर्ष इस
 दान से ही किया जायेगा
 णाली द्वारा सूचित किया
 विद्यालय की पूर्वलिखित
 ग प्रारंभ या प्रकाशन नहीं
 देगा जबकि विश्वविद्यालय

का प्रकाशन के लिए इस आधार पर निर्देश दे कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय शासन, किसी राज्य शासन या विश्वविद्यालय
 के कर्मचारी या विश्वविद्यालय कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय अधिकारी के बीच अच्छे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
 कर्मचारी संघ नहीं ऐसा कार्य नहीं करेगा या किसी ऐसे कार्य के करने में सहायता नहीं देगा जिससे किसी विश्वविद्यालय
 कर्मचारी द्वारा किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय सेवा नियमों या उपबंधों में से किसी नियम या उपबंध का उल्लंघन
 हुआ हो ।
 कर्मचारी संघ किसी विदेशी प्राधिकारी को संबोधित की गई सूचना विश्वविद्यालय के द्वारा ही भेजेगा अन्यथा नहीं और
 विश्वविद्यालय को उसे रोकने का अधिकार होगा ।
 कर्मचारी संघ द्वारा या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को या किसी विश्वविद्यालय पदाधिकारी को
 संबोधित सूचनाओं में अनादरपूर्ण एवं अनुचित भाषा नहीं होगी, और
 कर्मचारी संघ तथा उसकी समितियों अपने अधिवेशन उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्थान के अतिरिक्त
 अन्य किसी स्थान पर नहीं करेगी और कोई भी ऐसा अधिवेशन जनता के लिए खुला नहीं होगा । परंतु इस खंड की कोई
 भी बात कर्मचारी संघ या उसकी समितियों के किसी ऐसे अधिवेशन की दशा में लागू नहीं होगी जो किसी सामाजिक सांस्कृतिक
 या सांसारिक प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में बुलाया गया हो और जिसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा न की जाय
 जिसमें कि विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारियों के संबंध अन्तर्गत हों ।
 मान्यता वा वापस लिया जाना यदि विश्वविद्यालय की राय में इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त किसी कर्मचारी संघ के नियम-
 या नियम- 8 में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया तो विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारी संघ को दी गई मान्यता वापस ले सकेगा।
 निर्धारण यदि इन नियमों के उपबंधों में किसी भी उपबन्ध के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो वह विश्वविद्यालय को
 निर्णय किया जायगा । जिस पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा ।

Regulation No. 26

RAVISHANKAR UNIVERSITY RESEARCH ASSISTANCE FUND

This Fund will be known as Ravishankar University Research Assistance Fund.

ELIGIBILITY :

The following shall be eligible for receipt of the assistance from this fund :

- i) Students registered for the Doctoral Research Degree of the University in any Faculty of the University shall be eligible for assistance from this fund.
- ii) Teachers in the University or in the affiliated colleges of the University working on a specific Research problem for a period of about one year or more shall also be eligible for assistance from this fund.

Items which may be purchased out of this fund are listed as below :

- a) Chemicals (including stains and sears etc) glass ware, Biological material (Animals and plants), Photographic and drawing materials, magnetic tapes for tape recorders.
- b) Reprints, Microfilms, Photo States, xerographic copies of rare manuscripts thesis and rare books.
- c) Instruments and their replacement parts and components.
- d) Customs syntheses and analysis of materials vizi. Analysis of compounds by micro methods including Infrared, ultra violet and visible and Nuclear Magnetic resonance spectra.
- e) Expenses on data procesing on electronic and mechanical computers.
- f) Assistance to works the publication cost of research papers by the applicant in Journals of repute and purchase of reprints of his published paper upto a maximum of 100 reprints (The payment will be made against the actual bill of the Journal).
- g) Any other item not covered by above may be approved of by the committee for sanction of the KUIpati.



सहमति-पत्र

पं. रविशंकर शुक्ल कर्मचारी संघ के मांग पत्र क्रमांक 501/क.सं./2015 दिनांक 22.04.2015 में उल्लेखित 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज दिनांक 12.06.2015 को प्रातः 11:00 बजे कुलसचिव कक्ष में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं कुलसचिव महोदय के साथ चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत दोनों पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति बनी:-

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में:-

1. 2011 की स्थिति में घोषित अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर आगामी पदोन्नति की कार्यवाही 15 दिनों के भीतर किया जावे।
2. मान. उच्च न्यायालय के प्रकरण 3578/95 के निर्णय के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के कोई पात्रता प्राप्त कर्मचारी पदोन्नति के लिए छूट गए हों तो उन्हें पात्रतानुसार पदोन्नति दी जावे तथा इनके पदोन्नति के पश्चात् नियमानुसार आगामी पदोन्नति दी जावे।

उक्त पदोन्नति की कार्यवाही 01 माह के भीतर परीक्षण कर किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में:-

अग्रिमों के संबंध में शासन के आदेशानुसार सुविधा प्रदान किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में:-

उक्त मांग के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में:-

इस संबंध में जहाँ तक संभव हो स्थानांतरण करते हुए पद अनुरूप कार्य लिया जाए तथा लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों से पद अनुरूप कार्य लिया जाए।


मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 05 के संबंध में:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति विकल्प का आदेश शासन के निर्देशानुसार जारी कर दिया गया है।


जिन कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति अभी भी शेष है ऐसे संबंधित कर्मचारियों से संक्षेपिका लेकर वित्त विभाग से परीक्षण करवा कर मान. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।


मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 06 के संबंध में:-


1. अध्यादेश क्रमांक 45 के प्रावधानों में शोधन की कार्यवाही त्वरित किया जाए।
2. वित्तीय सत्र 2014-15 में जिनके शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष है तत्संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाए।
3. कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त दिनांक 10.09.2010 के निर्णय के परिपेक्ष्य में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क के संबंध में प्रकरण मान. कार्यपरिषद् में प्रस्तुत कर निर्देश प्राप्त किया जावे।


12/6/15


12/6/15


12/6/15


12/6/15


12/6/15

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 07 के संबंध में:-

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 08 के संबंध में:-

शासन के निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 03 पर निर्णय के बिन्दु क्रमांक 04 पर लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 09 के संबंध में:-

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 10 के संबंध में:-

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 के संबंध में:-

इस संबंध में पात्रतानुसार कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है तथा शेष कर्मचारियों का स्थायीकरण प्रक्रियाधीन है।

कर्मचारी संघ का सुझाव:- बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में:-

मान. उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3578/95 के निर्णय के परिपेक्ष्य में वर्ष 1995 से नियमानुसार वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए वर्ष 2014 एवं 2015 तक पदोन्नति आदेश समझौता तिथि से 01 माह के भीतर जारी किया जावे।

उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक : 12.06.2015

स्थान : रायपुर (छ.ग.)

कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण:-

1. श्री श्रवण सिंह ठाकुर (अध्यक्ष)
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा (सचिव)
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर (उप सचिव)
4. श्री रामजी मण्डावी
(कार्यका. सदस्य एवं सचिव-अ.ज.जा परिषद्)
5. श्री रामेश्वर राठौर (कार्यकारिणी)
6. श्री तीर्थराम यादव (सदस्य)

[Handwritten signatures and dates]
12/06/2015
12/06/15
12/6/15
12/6/15

[Handwritten signature]
कुलसचिव 12/6/15

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर


विषय :- विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमती से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

- कुल 7 खसरा नंबर की भूमि पूर्व अधिग्रहित जमीनों के मध्य आने के कारण उक्त भूमि को भी अधिग्रहण प्रस्तावित है।
- उक्त प्रकरण को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.02.2015 (विषय क्र. 8) में निर्णय अनुसार संबंधित भू-स्वामियों से विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार सदस्यों की समिति गठित की गई—
 - श्री श्रीचंद सुन्दरानी, कार्यपरिषद सदस्य
 - डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला, कार्यपरिषद सदस्य
 - डॉ. रोहिणी प्रसाद, कार्यपरिषद सदस्य
 - विश्वविद्यालय यंत्री, यांत्रिकी विभाग
 - डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव प्रशासन
- माननीय कुलपति जी के कक्ष में दिनांक 10.04.2015 को समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—
 - श्री श्रीचंद सुन्दरानी, कार्यपरिषद सदस्य
 - श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री, यांत्रिकी विभाग
 - डॉ. आर.के. अग्रवाल, उपकुलसचिव प्रशासन की ओर से
 समिति के समक्ष 05 भूमि स्वामी उपस्थित हुए, विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया (समिति के द्वारा भू-स्वामियों की सहमति से लिए गए निर्णय की छायाप्रति संलग्न) कि—
 - “विश्वविद्यालय परिक्षेत्र सीमा में आने वाले भूमि स्वामियों ने समिति से विचार-विमर्श पश्चात आपसी सहमति से निजी भूमि रकबा 1.92 एकड़ को रु. 58 लाख प्रति एकड़ की दर पर भूमि बिक्री करने का निर्णय लिया।
 - भू-स्वामी द्वारा एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें मालिकाना हक (और कोई भी मालिकाना हक नहीं है) एवं बी-1, खसरा व उपरोक्त उल्लिखित राशि के अनुसार विक्रय करने का सहमति-पत्र शपथ-पत्र के साथ देना होगा।”
- भूमि ग्रहण की कार्यवाही में स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करने कार्यालयीन पत्र क्र. 05/कु.स./संपदा/15, रायपुर दिनांक 04.07.2015 द्वारा राज्य शासन को अनुरोध किया गया है। (प्रत्युत्तर अद्यतन अप्राप्त है)
- जिन निजी भू-स्वामियों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर भूमि विश्वविद्यालय को विक्रय करने हेतु समिति की शर्तों की पूर्ति की गई है, उनका विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)	भू-स्वामी का नाम	खरीदी कीमत	स्टाम्प ड्यूटी	रसीद	कुल राशि
1	463/1	0.097	सुरेन्द्र नाथ पिता शम्भूदयाल गुप्ता	13,90,260=00	1,51,600=00	20,000=00	15,61,860=00
2	530/1	0.182	तिलकराम बगैरह	26,08,260=00	2,84,500=00	37,200=00	29,29,960=00
3	509/1	0.082	प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति अध्यक्ष योगेश द्विवेदी	11,75,080	1,28,300=00	17,000=00	13,20,380=00
4	509/3	0.040	प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति अध्यक्ष योगेश द्विवेदी	5,73,040=00	62,500=00	9,000=00	6,44,540=00

0.401	कुल योग	57,46,640=00	6,26,900=00	83,200=00	64,56,740=00
				अन्य व्यय	+ 20,000=00
				महायोग	64,76,740=00

समिति द्वारा निर्धारित दर पर उपरोक्तनुसार निजी भूमि को क्रय हेतु कुल राशि रु. 64,76,740/- (रु. चौसठ लाख छिहत्तर हजार सात सौ चालीस) की वित्तीय, प्रशासकीय स्वीकृति के साथ क्रय की अनुमति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।


5/8/15

अध्यक्ष की अनुमति से

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.2015



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4456 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 13/08/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 13.08.2015 अपराह्न 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
3.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
8.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	M.A. English Prev. PGDCA Seat Increment	25 20	2015-16	निरीक्षण तिथि :- 10.08.2015 दिनांक 10.08.2015 को महंत लक्ष्मीनारायण महा. का निरीक्षण किया और पाया : 1. महाविद्यालय में 25 कक्षाएँ एवं 2 Hall हैं। अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 9 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन का आदेश – छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1933/1307/2013 /38-2 दिनांक 31.05.2013						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>3. समुचित संख्या में लाइसेंसड साफ्टवेयर क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>4. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार समुचित संख्या में Standard पुस्तकों का क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>5. परिनियम 28 में कम्प्यूटर और अंग्रेजी के 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।</p>	
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी भिलाई, जिला-दुर्ग	<p>New Course M.S.W. 20</p> <p>Seat Extension BCA 30</p> <p>PGDCA 30</p> <p>B.Sc. Biotech. 30</p> <p>B.Com. Computer Application 30</p> <p>B.B.A. 20</p>		2015-16	<p>निरीक्षणी तिथि 13.08.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 4411/अका./2015 दिनांक 10.08.2015 के परिप्रेक्ष्य के तहत जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्ना. भिलाई दुर्ग में नवीन विषय MSW (20 सीट) सीट वृद्धि BBA (30 सीट), PGDCA (30 सीट), B.Sc. Biotech. (30 सीट), B.Com. Computer Appli. (30 सीट) एवं सम्बद्धता हेतु आज दिनांक 13.08.2015 को निरीक्षण किया गया। निम्न तथ्य पाये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है। 2. महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य हैं। 3. महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के परिनियम 28 के तहत 14 सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं, नये विषय के MSW & Computer के लिये 28 परिनियम में शिक्षक की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। 4. ग्रन्थागार में ग्रन्थापाल है। सभी विषयों की 7844 पुस्तकें हैं। महावि. में विषय एवं कक्षावार छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>
<p>शासन का आदेश - छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1384/2012/38-2 दिनांक निरंक एवं एफ 17-11/2015 दिनांक 30.01.2015</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					5. कम्प्यूटर लेब है। लेब में 60 कम्प्यूटर है। Internet की सुविधा है। लायसेंस साफ्टवेयर है। बायोटेक लेब है जिसमें पर्याप्त उपकरण है। 6. महाविद्यालय में अधोसंरचना, फर्नीचर, केन्टीन, प्रसाधन एवं खेल के मैदान उपलब्ध है।	

04. शासकीय महाविद्यालय छुरिया में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय, शासकीय महाविद्यालय, घुमका में विज्ञान संकाय तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में गृहविज्ञान संकाय प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आयुक्त उच्च शिक्षा इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 198/69/आउशि/योजना/15 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा (1) शासकीय रानी सुर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया में विज्ञान संकाय (बायो.-प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित समूह - गणित, भौतिकी, रसायन 60-60 सीट) एवं वाणिज्य संकाय (60 सीट), (2) शासकीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका में विज्ञान संकाय (बायो.-प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित समूह - गणित, भौतिकी, रसायन 60-60 सीट) तथा (3) शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में गृहविज्ञान संकाय (60 सीट) नवीन विषय प्रारंभ करने के संबंध में सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही किया जावे।

05. सत्र 2015-16 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़, जिला-बेमेतरा
2	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला-बालोद
3	शासकीय के.एल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर जिला-बालोद
5	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद
6	शासकीय शहीद कौशल यादव, महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला-बालोद
7	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद, जिला-बालोद
8	शासकीय पं. श्यामा चरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर
9	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर जिला-रायपुर
10	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

अशासकीय महाविद्यालय


1	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
---	--

निर्णय : सत्र 2015-16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर व्याख्यान आयोजित किये जाने की अनुशंसा की गई।
02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को एसोसिएशन ऑफ कॉमन वेल्थ यूनिवर्सिटी की सदस्यता लेने के लिए कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 4457 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 13 /08/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

विषय :- नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिये छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी. नगर जोन रायपुर, को किये गये भुगतान सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

जैवप्रौद्योगिकी के नवीन भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अध्ययनशाला में प्रायोगिक एवं शोध कार्य के लिये ऐसे उपकरण है जिसके लिये अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः इस भवन में अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होने के कारण नवीन विद्युत कनेक्शन के साथ नये ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग द्वारा जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के भवन का निरीक्षण किया गया एवं नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी. नगर जोन रायपुर, में 67 किलोवॉट के लिये आवेदन किया गया था। इस आवेदन के आधार पर छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी. नगर जोन रायपुर ने रु. 7,60,449.00 (रु. सात लाख साठ हजार चार सौ उन्नचास मात्र) का माँग पत्र प्राप्त हुआ था। नये भवन में शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के हेतु ट्रांसफार्मर के साथ विद्युत कनेक्शन के लिये माँग के अनुसार रु. 7,60,449.00 (रु. सात लाख साठ हजार चार सौ उन्नचास मात्र) का भुगतान किया गया है।

कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कक्ष क्रमांक - - - - -

पृष्ठ क्रमांक - - 01 - - - - -

प्रभाषी अधिकारी श्री Dr. H.K. Pathak शाखा - CBS - Maths

प्रभाषी विरिष्ठ श्री B.R. Bhasle

विषय :-

Subject: For the assurance of Scholarship of Rs. 5, 000.00 per month to 40 students admitted in CBS in the session 2015-16

Ref. Letter No. F 3-14/2014/38-2 Raipur , Dated 6/9/2014

Under the reference mentioned above, the Government of Chhattisgarh approved and released seed money of Rs. 200 Lakhs from the annual budget, Govt. of Chhattisgarh 2014-15 for the establishment of Center for Basic Sciences in the Campus of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

1. As per our proposal submitted to Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and discussion with Hon'ble Chief Minister and Minister of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh , Pt. Ravishankar Shukla University would like to assure scholarship to 40 students who will be admitted in CBS in the year 2015.. This assurance is subject to the approval and availability of the fund disbursed by Govt. of Chhattisgarh.
2. Every students admitted in CBS will be awarded scholarship of Rs. 5000.00 per month. There are 40 seats (20 for PCM group & 20 for PCB group) in the academic year 2015-16.
3. Pt. Ravishankar Shukla University shall require Rs. 24 Lakhs for scholarship to 40 students.
4. The seed money of Rs. 24 Lakhs may be reserved for this purpose in a separate account of the university meant for this course. The account and payment of scholarship shall be operated by the Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
5. The required money may be allotted in the university budget.
6. To accomplish this assurance a budget of Rs. 24 lakhs needs to be approved by EC for the said purpose.

63/CBS
22/7/15
224/17
17.6.15

27/CBS
10-6-15
Coordinator, CBS

Registrar
V.C

7500
11/6/15
12/6/15
O.S.D. (Acad)

10.6.15
11/6

12/6/15

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-14 / 2014 / 38-2
प्रति,

रायपुर दिनांक / 9 / 2014

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Sciences) स्थापित करने बाबत।

राज्य शासन एतद् द्वारा पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Sciences) की स्थापना हेतु निम्नानुसार 15 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मान	पद संख्या
1	2	3	4
1	संचालक	37400-67000 + 10000	01
2	व्याख्याता	15600-39100 + 6000	08
3	प्रयोग शाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	05
4	सहायक ग्रेड-3	5200-20200 + 1900	01
		योग	15

2- पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु बजट व 2014-15 में प्रावधानित राशि में से राशि रूपये 200.00 लाख (दो सौ लाख) मात्र को विमुक्त करने व स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

3- उक्त व्यय मांग संख्या-44- मुख्य शीर्ष-2202- सामान्य शिक्षा उप शीर्ष-03- विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-लघुशीर्ष-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-102 विश्वविद्यालय को सहायता, 5205 पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर-14 सहायक अनुदान-001 स्थापना अनुदान आयोजना मद व 2014-15 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ उपरोक्त धनराशि के संबंधित लेखे महालेखाकार/ वित्त विभाग/स्थानीय निधि/संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु जुले रहेंगे।

5/ स्वीकृत धनराशियों का भुगतान उपरोक्तानुसार देयक सी.जी.टी.सी.-46 पर समक्ष अधिकारी द्व प्रति हस्ताक्षरोपरान्त किया जावेगा।

6/ विश्वविद्यालय को स्वीकृत की गई राशि का आहरण संस्था के न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित किया जावेगा। रिक्त पदों के लिये राशि का आहरण कोषालय से नहीं किया जावेगा।

7/ राशि का व्यय नियमानुसार ही करना अनिवार्य होगा।

8/ इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्यता करना होगा।

9- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग कमप्यूटर क्रमांक एफ 2014-38-00349 दिनांक 20.8.2014 द्वारा जारी सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अज्ञेय कुमार शर्मा)

उपरोक्त पदों पर

रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 09/09/2014



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Dr. Jagannath Patil

Adviser to

NAAC/E&NER-JP/CH-UN/3rd Cycle/2015

10th July 2015

The Vice Chancellor

Pandit Ravishankar Shukla University,
Amanaka, G.E. Road, Raipur - 492010,
Chhattisgarh.

Dear Sir,

Greetings from NAAC,

This has reference to your submission of Letter of Intent (LoI) dated 03/07/2015 expressing your intention to undergo Accreditation for 3rd Cycle with NAAC & your letter dated 04/07/2015 regarding submission of DD for Rs. 28,500/- along with relevant documents.

We find your institution eligible to undergo further process of Assessment & Accreditation.

Your University Track id is CHUNGN10085

Further you need to submit the Self-Study Report (SSR) within the six months from the date of acceptance of LoI 10/07/2015 (i.e., on or before 9th January, 2016).

Extension for submission of SSR will not be given.

The two Minimum Institutional Requirements (MIRs) for Re-accreditation are:

- i. **Internal Quality Assurance Cell (IQAC) & its effective functioning.**
Institution need to submit Annual Quality Assurance Report (AQAR) of Internal Quality Assurance Cell (IQAC) for the year 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14 & 2014-15 as per the guidelines of AQAR using the link (<http://www.naac.gov.in/AQAR.asp>). The SSR will be accepted once college submits the AQARs.

- ii. **A functional institutional Website.**

A functional website is necessary for Re-Accreditation by NAAC.

Here is the link for "Manual for University"
http://www.naac.gov.in/manuals_ass_accord.asp. The softcopy of the manual may also be downloaded from our website <http://www.naac.gov.in>. The Manuals for Self-Study are generic and uniformly applicable for all the Institutions.

Contd....2

पि.ओ. बॉक्स नं. 1075, नागरभावी, बेंगलूर - 560 072, भारत P.O Box No. 1075, Nagarbhavi, Bangalore - 560 072, INDIA

दूरभाष Phone + 91-80-23005116 (D), 23210261, 62, 63, 64, 65, Fax : +91-80-23210270

ई-मेल : e-mail : jp.naacindia@gmail.com / jagannath.patil@naac.gov.in वेबसाइट Website : www.naac.gov.in

Jagannath Patil
31/8/15

Kindly upload the SSR in your Institutional website one month prior to submission of final document of SSR (i.e., on or before 9th December, 2015) under intimation to NAAC (**format enclosed**) by letter / email and retain the same till the Peer Team Visit is completed. (Please refer to the related link for Duties and Responsibilities of NAAC and Higher Education Institution i.e. http://www.naac.gov.in/duties_responsibilities.asp)

Kindly provide the list of the programmes and No. of Students admitted during this academic year.

The SSR complete in all respects needs to be submitted to NAAC in **Ten (10)** hard copies (printed form) and its soft copy (**CD**) in **each self-study report**; it may be fixed in a cover/pouch in the last page of the Report. Self-Study Report needs to be submitted to The **Director, NAAC or Western Region Co-ordinator, NAAC.**


Please suggest **three suitable time slots covering 5 days each** for planning the Peer Team Visit to your institution. Kindly inform **nearest airport as well as distance from the airport.**


The statement of Compliance is enclosed; kindly send it to the undersigned with SSR.

Wishing you successes in your endeavour for quality enhancement.

With regards,

Yours sincerely


(Dr. Jagannath Patil)


3/07/15



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी के संविदा सेवावृद्धि बाबत।

श्री के.पी. यादव, सेवानिवृत्त सहायक कोषालय अधिकारी को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4151/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा रिक्त लेखा अधिकारी के पद पर सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के प्रावधानानुसार दिनांक 16.08.2014 से 01 वर्ष अथवा इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए लेखा अधिकारी के पद पर संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की गयी थी।

श्री यादव, लेखा अधिकारी की 01 वर्ष की संविदा सेवा अवधि दिनांक 15.08.2015 को पूर्ण हो रही है।

अतः छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के प्रावधानानुसार श्री के.पी. यादव, सेवानिवृत्त सहायक कोषालय अधिकारी को रिक्त लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 16.08.2015 से एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा नियुक्ति किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवावृद्धि बाबत।

श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4983/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा रिक्त विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के प्रावधानानुसार दिनांक 19.08.2014 से 01 वर्ष अथवा राज्य शासन द्वारा नियमित नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की गयी थी।

श्री तिवारी विश्वविद्यालय यंत्री की 01 वर्ष की संविदा सेवा अवधि दिनांक 18.08.2015 को पूर्ण हो रही है।

अतः छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के प्रावधानानुसार श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता को रिक्त विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर दिनांक 19.08.2015 से एक वर्ष या राज्य शासन द्वारा नियमित नियुक्ति किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा नियुक्ति किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।